खण्ड-135, अंक-1
सोमवार, 6 वैशाख, शक संवत् 1876
(26 अप्रैल, 1954 ई0)

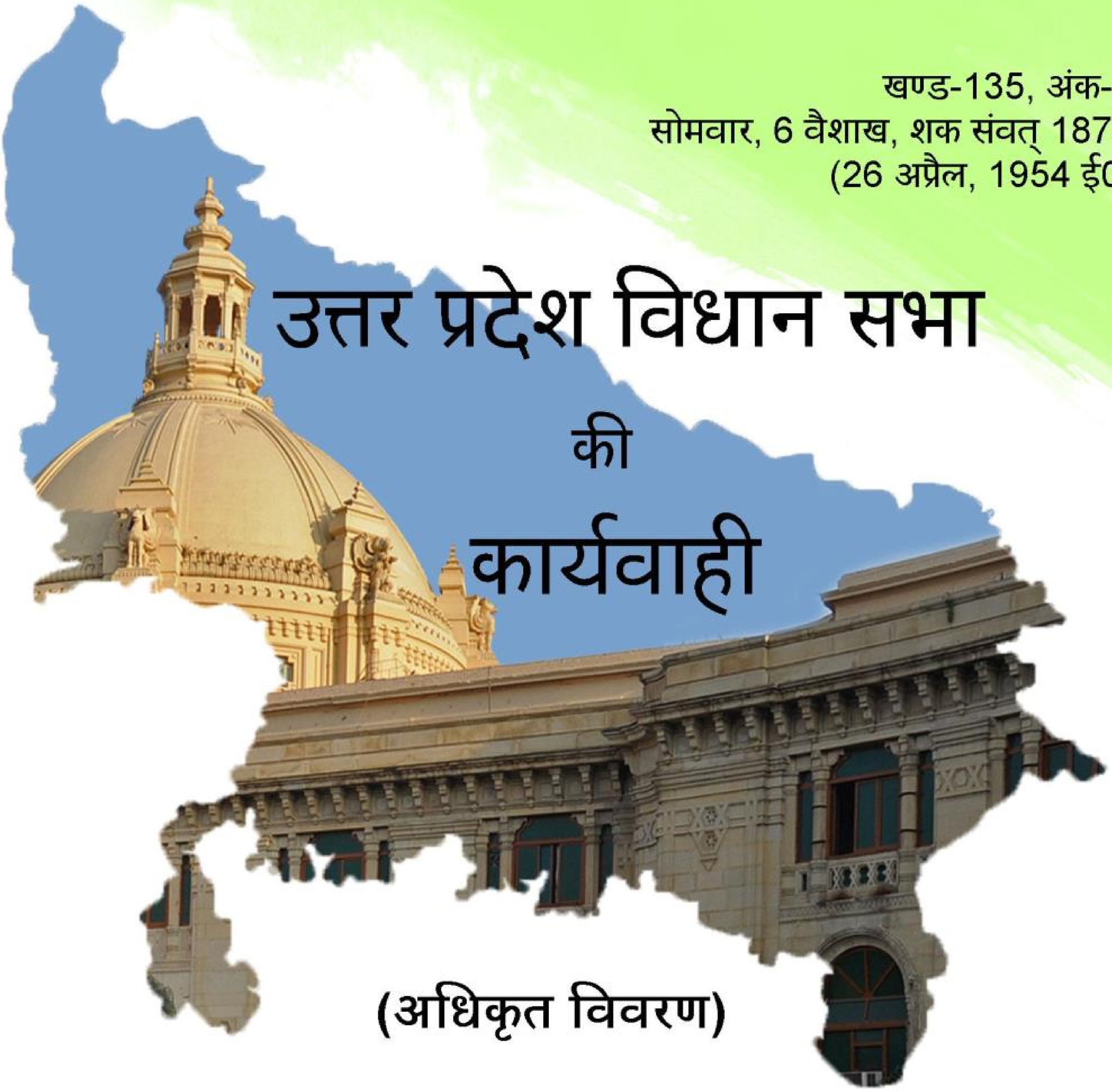

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 135 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

921

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१–४
प्रश्नोत्तर	५–२९
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	२९–३०
कानपुर में लोकसभा के उप-चुनाव के समय पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	३०–३१
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३१
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापन स्थगित) ..	३१
रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४ (उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक, विचारोपरान्त पारित)	३२–३८
उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, विचारोपरान्त पारित) ..	३९–४९
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ (पुरःस्थापित किया गया) ..	४९
अगले सप्ताह का कार्यक्रम	४९–५०
नत्थियां	५१–६९

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची	७१–७५
प्रश्नोत्तर	७५–९५
कानपुर में मेस्टन रोड पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	९६–९९
सहजनवा महावीर जूट मिल्स के हड़ताली मजदूरों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अवैध घोषित)	९९–१००
उत्तर प्रदेश बिक्री कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	१००
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी) ..	१००–१४४
नत्थियां	१४५–१५०

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्यों की सूची	१५१—१५५
प्रश्नोत्तर	१५५—१७५
देवरिया जिले में अग्नि से कुछ मकानों के जल जाने के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था ..	१७५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी)	१७६—२१८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची	२१९—२२३
प्रश्नोत्तर	२२३—२४४
श्री वंशराज सिंह की भूख-हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	२४४
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति की बैठकों की संक्षिप्त कार्यवाहियां (मेज पर रखी गयीं) ..	२४५
श्री वंशराज सिंह की भूख-हड़ताल समाप्त होने के सम्बन्ध में सूचना	२४५
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी)	२४५—२८७
नत्थियां	२८८—२९२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

उपस्थित सदस्यों की सूची	२९३—२९७
प्रश्नोत्तर	२९७—३१५
कुछ प्रश्नों पर पूरक प्रश्नों के लिए अधिक समय की मांग ..	३१५
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी से सम्बद्ध प्रश्नों के ठीक उत्तर न मिलने पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिए अनुमति की मांग (अस्वीकृत) ..	३१५—३१६
श्री गेंदा सिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि	३१६
श्री राजनारायण की कानपुर के जिलाधीश द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के लिए अनुमति की मांग (अस्वीकृत) ..	३१६—३१७
श्री गेंदा सिंह की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाने के कारण ..	३१७—३१८

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में उनके द्वारा भेजे गये प्रतिवाद को सदन में पढ़ने की प्रार्थना (अस्वीकृत) ..	३१८–३१९
श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा श्री व्रजभूषण मिश्र पर लगाये गये गाली देने के इल्जाम को वापस लेने का अनुरोध ..	३१९
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ (विचार जारी)	३१९–३५७
नत्थियां	३५८–३६६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल,

श्री कन्हयालाल माणिकलाल मुन्शी।

मन्त्रि-परिषद्

श्री गोविंद वल्लभ पंत, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी०ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा–सदस्य, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा–सदस्य, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा–सदस्य, न्याय तथा मादककर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविंद सिंह, बी० एस-सी०, एल–एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), विधान सभा–सदस्य, स्वशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा–सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, विधान सभा–सदस्य, परिवहन मंत्री।

उपमन्त्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, सहकारिता उप–मंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, वन उपमंत्री।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा–सदस्य, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा–सदस्य, कारावास उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी.० विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, विधान सभा-सदस्य, निर्माण उपमंत्री।

मेरा पहेली सभा

सभा-सचिव

स्वशासन मन्त्री के सभा-सचिव

श्री कृपा शंकर, विधान सभा—सदस्य ।

अन्न मन्त्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा—सदस्य ।

२—श्री बनारसीदास, विधान सभा—सदस्य ।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा—सदस्य ।

माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा—सदस्य ।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस), पी-एच० डी०, विधान सभा—सदस्य ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिवालय, पटना

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	..	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	..	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	..	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्त स्वरूप सिंह, श्री	..	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	..	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	..	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फरुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	..	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	..	नाम-निर्देषित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	..	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर—पश्चिम)
१९—इसरारुल हक, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	..	गोरखपुर (मध्य)
२१—उदयभान सिंह, श्री	..	डलमऊ (पूर्व)
२२—उमाशंकर, श्री	..	सगरी (पश्चिम)
२३—उमाशंकर तिवारी, श्री	..	चंदौली (दक्षिण—पश्चिम)—रामनगर
२४—उमाशंकर मिश्र, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट
२५—उम्मेद सिंह, श्री	..	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२६—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	..	ऐतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२७—ऐजाज रसूल, श्री	..	शाहाबाद (पश्चिम)
२८—ओंकार सिंह, श्री	..	दातागंज (उत्तर) बदायूं
२९—कन्हैयालाल, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
३०—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर—पश्चिम)
३१—कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चकिया—चन्दौली (दक्षिण—पूर्व)
३२—कमला सिंह, श्री	..	सैदपुर
३३—कमाल अहमद रिजवी, श्री	..	मोहमदी (पूर्व)
३४—करण सिंह यादव, श्री	..	गुन्नौर (उत्तर)
३५—करन सिंह, श्री	..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३६—कल्याण चन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७—कल्याण राय, श्री	..	हुजूर मिलक (उत्तर),
३८—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	चंदौली (उत्तर)
३९—कालिका सिंह, श्री	..	लालगंज (दक्षिण)
४०—कालीचरण टंडन, श्री	..	कन्नौज (उत्तर)
४१—काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
४२—किन्दरलाल, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
४३—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	..	खुरजा
४४—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४५—कृपा शंकर, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४६—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण—पूर्व)
४७—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	..	ललितपुर (दक्षिण)
४८—कृष्ण शरण आर्य, श्री	..	मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४९—केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
५०—केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
५१—केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
५२—केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५३—केशव पांडेय, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर—पूर्व)
५४—केशवराम, श्री	..	सहसवान (पूर्व)
५५—कैलाश प्रकाश, श्री	..	मेरठ नगरपालिका
५६—खयालीराम, श्री	..	अमरोहा (पूर्व)
५७—खुशी राम, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
५८—खूब सिंह, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५९—गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)—पौड़ी (उत्तर)
६०—गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
६१—गंगाधर शर्मा, श्री	..	मिश्रिख
६२—गंगाप्रसाद, श्री	..	तरबगंज (दक्षिण—पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६३—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६४—गजेन्द्र सिंह, श्री	..	बिधूना (पूर्व)
६५—गज्जूराम, श्री	..	मऊ—मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६६—गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६७—गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	..	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६८—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव (दक्षिण—पश्चिम)
६९—गिरजारमण शुक्ल, श्री	..	पट्टी (दक्षिण)
७०—गिरधारी लाल, श्री	..	धामपुर (उत्तर—पूर्व)—नगीना (पूर्व)
७१—गुप्तार सिंह, श्री	..	डलमऊ (दक्षिण—पश्चिम)
७२—गुरुप्रसाद पांडेय, श्री	..	खजुहा (पश्चिम)
७३—गुरु प्रसाद सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७४—गुलजार सिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७५—गेंदा सिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)
७६—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	..	इटावा (दक्षिण)
७७—गोवर्धन तिवारी, श्री	..	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७८—गोविंद वल्लभ पंत, श्री	..	बरेली नगरपालिका
७९—गौरी राम, श्री	..	फरेंदा (मध्य)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८०—घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेही घाट
८१—घासी राम जाटव, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—
	..	इटावा (उत्तर)
८२—चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई—जालौन (दक्षिण)
८३—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	लखनऊ नगर (पूर्व)
८४—चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	..	तराबगंज (दक्षिण—पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
८५—चन्द्रवती, श्रीमती	..	बिजनौर (मध्य)
८६—चन्द्र सिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८७—चन्द्रहास, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८८—चरण सिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८९—चित्तर सिंह निरंजन, श्री	..	कोंच
९०—चिरंजी लाल जाटव, श्री	..	जलेसर—एटा (उत्तर)
९१—चिरंजी लाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
९२—चुन्नीलाल सगर, श्री		बिसौली—गुन्नौर— (पूर्व)
९३—छेदा लाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर—पश्चिम)
९४—छेदा लाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९५—जगतनारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९६—जगदीश प्रसाद, श्री	..	हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९७—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
९८—जगनप्रसाद रावत, श्री	..	खैरगढ़
९९—जगन्नाथप्रसाद, श्री	..	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
१००—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
१०१—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१०२—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर—पूर्व) बांसडीह (दक्षिण—पश्चिम)
१०३—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व)
१०४—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०५—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
१०६—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०७—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०८—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन—टेहरी (उत्तर)
१०९—जवाहर लाल, श्री	..	करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
११०—जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१११—जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
११२—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा—कुलपहाड़—चरखारी
११३—ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
११४—झारखंडे राय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११५—टीकाराम, श्री	..	संडीला—बिलग्राम (दक्षिण—पूर्व)
११६—डल्ला राम, श्री	..	मिश्रिख
११७—डालचन्द, श्री	..	माट—सादाबाद (पश्चिम)
११८—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११९—तुलसीराम, श्री	..	बदायूं (दक्षिण—पश्चिम)
१२०—तुलाराम, श्री	..	औरैया—भरथना (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१२१—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर—पश्चिम)
१२२—तेजप्रताप सिंह, श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२३—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२४—तेजा सिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर—पश्चिम)
१२५—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
१२६—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२७—दर्शन राम, श्री	..	मऊ—करवी—बबेरू (पूर्व)
१२८—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२९—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१३०—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१३१—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३२—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३३—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३४—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३५—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३६—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३७—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३८—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३९—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१४०—देवेन्द्र प्रतापनारायण सिंह, श्री		गोरखपुर (पश्चिम)
१४१—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४२—द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मरियाहू (उत्तर)
१४३—द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४४—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४५—धर्म सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण) अनूपशहर (दक्षिण)
१४६—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४७—नत्थू सिंह, श्री	..	आओं (पूर्व) फरीदपुर
१४८—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४९—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून दक्षिण पूर्वीय दून
१५०—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
१५१—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दाता गंज (दक्षिण)—बदायू (दक्षिण—पूर्व)
१५२—नवलकिशोर, श्री	..	आओंला (पश्चिम)
१५३—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५४—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५५—नारायण दत्त तिवारी, श्री		नैनीताल (उत्तर)
१५६—नारायणदास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५७—नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५८—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)-बीसलपुर (पश्चिम)
१५९—नेक राम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)
१६१—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षत्र
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री	सोराव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी दयाल, श्री	केराकत–जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	बांदा
१६७—पाती राम, श्री	छिबरामऊ (पूर्व)–फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तू लाल, श्री	ऐतमादपुर–आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री	बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर (पश्चिम)–जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७४—प्रभु दयाल, श्री	बस्ती (पश्चिम)
१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	पवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६—फ़ज़लुल हक़, श्री	रामपुर नगर
१७७—फ़तेह सिंह राणा, श्री	सरधना (पश्चिम)
१७८—फूल सिंह, श्री	देवबन्द
१७९—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	सलीमपुर (दक्षिण)
१८०—बनारसी दास, श्री	बुलन्दशहर (मध्य)
१८१—बलदेव सिंह, श्री	बनारस (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह आर्य, श्री	पौड़ी (दक्षिण) – चमोली (पूर्व)
१८३—बलवीर सिंह, श्री	ग़ाज़ियाबाद (दक्षिण)
१८४—बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	उतरौला (उत्तर)
१८५—बलवन्त सिंह, श्री	मुज़फ़्फ़रनगर (पूर्व) – जानसठ (उत्तर)
१८६—बशीर अहमद हकीम, श्री	सीतापुर (पूर्व)
१८७—बसन्तलाल, श्री	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८८—बसन्तलाल शर्मा, श्री	नानपारा (उत्तर)
१८९—बाबूनन्दन, श्री	शाहगंज (पूर्व)
१९०—बाबूराम गुप्त, श्री	कासगंज (पश्चिम)
१९१—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	रामसनेहीघाट
१९२—बाबूलाल मीतल, श्री	आगरा नगर (उत्तर)
१९३—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	टेहरी (दक्षिण) प्रतापनगर
१९४—विशम्भर सिंह, श्री	सरधना (पूर्व)
१९५—बेचन राम, श्री	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९६—बेचनराम गुप्त, श्री	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९७—बेनीसिंह, श्री	कानपुर तहसील
१९८—बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	बांसडीह (मध्य)
१९९—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००—भगवती दीन तिवारी, श्री	जौनपुर (उत्तर) – शाहगंज (पश्चिम)
२०१—भगवती प्रसाद दुबे, श्री	बांसगांव (पूर्व) – गोरखपुर (दक्षिण)
२०२—भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०४—भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	फ़तेहपुर (दक्षिण) – खागा (दक्षिण)
२०५—भगवान सहाय, श्री	तिलहर (दक्षिण)
२०६—भीमसेन, श्री	खुरजा

सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२०७—भुवरजी, श्री	फूलपूर (पूर्व) – हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०८—भूपाल सिंह खाती, श्री	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०९—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१०—भोला सिंह यादव, श्री	ग़ाज़ीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२११—मक़सूद आलम खां, श्री	पीलीभीत (पश्चिम)
२१२—मंगला प्रसाद, श्री	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१३—मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	फ़र्रुखाबाद (पश्चिम)– छिबरामऊ
२१४—मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बांसी (उत्तर)
२१५—मदनगोपाल वैद्य, श्री	फैज़ाबाद (पूर्व)
२१६—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	रानीखेत (उत्तर)
२१७—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१८—मलखान सिंह, श्री	कोइल (मध्य)
२१९—महमूद अली खां, श्री	सुमर-टांडा-बिलासपुर
२२०—महमूद अली खां, श्री	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम) -- नकुड़ (उत्तर)
२२१—महाजन, श्री सी० बी०	आगरा नगर (पश्चिम)
२२२—महादेव प्रसाद, श्री	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२३—महाराज सिंह, श्री	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२४—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	हंडिया (दक्षिण)
२२५—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	मोहनलालगंज
२२६—महावीर सिंह, श्री	हाटा (उत्तर) देवरिया
२२७—महीलाल, श्री	बिलारी
२२८—मान्धाता सिंह, श्री	रसरा (पूर्व) – बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२९—मिजाजी लाल, श्री	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३०—मिहरबान सिंह, श्री	विधूना (पश्चिम) - भरथना (उत्तर) इटावा (उत्तर)
२३१—मुज़फ़्फ़र हसन, श्री	चायल (उत्तर)
२३२—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३३—मुन्नू लाल, श्री	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३४—मुरलीधर कुरील, श्री	बिल्हौर-अकबरपुर
२३५—मुश्ताक़अली खां, श्री	सहसवान (पश्चिम)
२३६—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३७—मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री	बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	बनारस नगर (उत्तर)
२३९—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४०—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	अमरोहा (पश्चिम)
२४१—मुहम्मद नबी, श्री	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४२—मुहम्मद नसीर, श्री	टांडा
२४३—मुहम्मद फारुक़ चिश्ती, श्री	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४४—मुहम्मद मञ्जूरुलनबी, श्री	सहारनपुर नगर
२४५—मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री	मछलीशहर (दक्षिण)
२४६—मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री	उतरौला (मध्य)
२४७—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	नानपारा (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२४८—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२४९—मोहनलाल, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५०—मोहन लाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५१—मोहन सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५२—मोहन सिंह शाक्य, श्री	..	अलीगंज (दक्षिण)
२५३—यमुना प्रसाद, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)
२५४—यमुना सिंह, श्री	..	गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५५—यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५६—रघुनाथ प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२५७—रघुराज सिंह, श्री	..	तरबगंज (पश्चिम)
२५८—रघुवीर सिंह, श्री	..	बागपत (दक्षिण)
२५९—रणञ्जय सिंह, श्री	..	अमेठी (मध्य)
२६०—रतन लाल जैन, श्री	..	नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर
२६१—रमानाथ खैरा, श्री	..	महरोनी
२६२—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	मड़ियाहू (दक्षिण)
२६३—रमेश वर्मा, श्री	..	किराउली
२६४—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	..	उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६५—राजकिशोर राव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
२६६—राजकुमार शर्मा, श्री	..	चुनार (उत्तर)
२६७—राजनारायण, श्री	..	बनारस (दक्षिण)
२६८—राजनारायण सिंह, श्री	..	चुनार (दक्षिण)
२६९—राजवंशी, श्री	..	पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७०—राजाराम, श्री	..	अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७१—राजाराम किसान, श्री	..	प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुन्डा (उत्तर)
२७२—राजाराम मिश्र, श्री	..	फ़ैजाबाद (पश्चिम)
२७३—राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद (उत्तर)
२७४—राजेन्द्र दत्त, श्री	..	मुजफ्फ़रनगर (पश्चिम)
२७५—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)
२७६—राधामोहन सिंह, श्री	..	बलिया (पूर्व)
२७७—राम अधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७८—रामअधीन सिंह यादव, श्री	..	पुरवा (मध्य)
२७९—राम अनन्त पाण्डेय, श्री	..	बलिया (मध्य)
२८०—राम अवध सिंह, श्री	..	फरेंदा (उत्तर)
२८१—रामकिंकर, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम) पट्टी—(उत्तर पश्चिम)
२८२—रामकुमार शास्त्री, श्री	..	बांसी (दक्षिण)
२८३—रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	मिर्जापुर (दक्षिण)
२८४—रामगुलाम सिंह, श्री	..	जलालाबाद (पश्चिम)
२८५—रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८६—रामचरन लाल गंगवार, श्री	..	बरेली (पश्चिम)
८७९—रामजीलाल सहायक, श्री	..	मवाना

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२८८—रामजो सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)-हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२८९—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२९०—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९१—राम दुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९२—राम नरेश शुक्ल, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
२९३—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९४—राम प्रसाद, श्री	..	राय बरेली–डलमऊ (उत्तर)
२९५—राम प्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२९६—राम प्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९७—रामप्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९८—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)–अमेठी (पूर्व)
२९९—राम भजन, श्री	..	मोहम्मदी (पश्चिम)
३००—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०१—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०२—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०३—रामलखन, श्री	..	चकिया–चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०४—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)
३०५—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०६—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०७—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली–डलमऊ (उत्तर)
३०८—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०९—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३१०—राम सहाय शर्मा, श्री	..	गरोधा मोठ (उत्तर)
३११—राम सुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१२—राम सुन्दर राम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१३—राम सुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१४—राम सुमेर, श्री	..	टांडा
३१५—राम स्वरूप, श्री	..	दूधी–राबर्ट्सगंज
३१६—राम स्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)–डेरापुर (दक्षिण)
३१७—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुन्डा (दक्षिण)
३१८—राम स्वरूप मिश्र "विशारद," श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३१९—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२०—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२१—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२२—रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२३—लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मण राव कदम, श्री	..	मऊ–मोठ (दक्षिण)–झांसी (पश्चिम)
	..	ललितपुर (उत्तर)
३२५—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला–बिलग्राम (दक्षिण–पूर्व)
३२६—लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री	..	माट–सादाबाद (पश्चिम)
३२७—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)
३२८—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३२९—लाल बहादुर सिंह, श्री	..	केराकत–जौनपुर (दक्षिण)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३३०—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३१—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३२—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३३—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३४—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३५—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३६—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३७—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३३८—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३३९—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४०—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४१—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज
	..	(दक्षिण)।
३४२—विश्राम राय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४३—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४४—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४५—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४६—वीरसेन, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३४७—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३४८—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३४९—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५१—वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५२—व्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३५३—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर-अकबरपुर
३५४—व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५५—व्रजबिहारी मिश्र,श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५६—व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५७—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५८—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३५९—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६०—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६१—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)-धामपुर (दक्षिण-
	..	पश्चिम)।
३६२—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६३—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६४—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)
३६५—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६६—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६७—शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६८—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)
३६९—शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)-फतेहपुर (दक्षिण-
	..	पश्चिम)।
३७०—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)

सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३७१—शिवराम पांण्डेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७२—शिवराम राय, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७३—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
३७४—शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७५—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	बहराइच (पूर्व)
३७६—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७७—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३७८—शुगन चन्द, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३७९—श्याम मनोहर मिश्र, श्री	..	मलिहाबाद —बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८०—श्याम लाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८१—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८२—श्रीचन्द, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८३—श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा (उत्तर)
३८४—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहमदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३८५—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८६—श्रीनिवास पंडित, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
३८७—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३८८—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती	..	कासगंज (पूर्व)-अलीगंज (उत्तर)
३८९—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरांव (उत्तर)—फूलपुर (पश्चिम)
३९०—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९१—सज्जनदेवी महतोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९२—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरैया—भरथना (दक्षिण)
३९३—सत्य सिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९४—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९५—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९६—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर—एटा (उत्तर)
३९७—सावित्री देवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
३९८—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
३९९—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४००—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण—पश्चिम) हाटा (दक्षिण-पश्चिम)।
४०१—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण—पश्चिम)
४०२—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४०३—सुन्दरलाल, श्री	..	आओंला (पूर्व)—फ़रीदपुर
४०४—सुरुजूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०५—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर-मौदहा (उत्तर)
४०६—सुरेश प्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४०७—सुल्तानआलम खां, श्री	..	क़ायमगंज (पश्चिम)
४०८—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)
४०९—सूर्यबली पाण्डेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१०—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर) —हसनगंज
४११—हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
४१२—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री	..	सफ़ीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१३—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर) —घोसी (दक्षिण)

सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४१४—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	.. शाहजहांपुर (मध्य)
४१५—हमीद खां, श्री	.. कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१६—हरखयाल सिंह, श्री	.. बागपत (पूर्व)
४१७—हरगोविन्द पन्त, श्री	.. रानी खेत (दक्षिण)
४१८—हरगोविन्द सिंह, श्री	.. जौनपुर (पूर्व)
४१९—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	.. हाथरस
४२०—हरदेव सिंह, श्री	.. देवबन्द
४२१—हरसहाय गुप्त, श्री	.. बिलारी
४२२—हरिप्रसाद, श्री	.. बिसलपुर (मध्य)
४२३—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	.. सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२४—हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री	.. लखनऊ (मध्य)
४२५—हरिसिंह, श्री	.. हापुड़ (उत्तर)
४२६—हुकुम सिंह, श्री	.. कैसरगंज (दक्षिण)
४२७—हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री	.. करछना (उत्तर) —चायल (दक्षिण)
४२८—होती लालदास, श्री	.. एटा (दक्षिण)
४२९—(रिक्त)	.. कैसरगंज (उत्तर)
४३०—(रिक्त)	.. गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
४३१—(रिक्त)	.. सिराथू—मंझनपुर

संसद सदस्य सूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

—:o:—

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव

श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी०।

विशेषाधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

अधीक्षक

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलसिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्यणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशी राम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद , श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविंद वल्लभ पंत, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसी राम, श्री
तुला राम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फ़ज़लुलहक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री

अध्यक्ष पदेश परामर्श

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताकअली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रवर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव चनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महरोत, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम ,श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी ,श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरख्याल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में हरिजन लेखपाल

*१—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में कुल कितने लेखपाल हैं और उनमें कितने हरिजन हैं ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कुल ९५ लेखपाल हैं जिनमें ६ हरिजन हैं।

*२—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय मड़ियाहूं तहसील में लेखपालों के स्थान खाली हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—इस समय कोई स्थान स्थायी रूप से खाली नहीं है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ९५ लेखपालों में केवल ६ ही हरिजन लेखपाल क्यों रक्खे गये हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—नये लेखपाल केवल ५६ रखे गये हैं। बाकी पुराने पटवारी थे जो लेखपाल बन गये। ५६ में ६ लेखपाल हरिजन रक्खे गये। अप्रैल सन् ५३ में जब कि शेडयूल कास्ट के लिये रिजर्वेशन दस फीसदी था। ५६ में ६ दस फीसदी ठीक बैठता है। १८ फीसदी रिजर्वेशन २२ सितम्बर, सन् ५३ को बाद में हुआ था। लिहाजा पुराने लेखपालों को हटाकर १८ फीसदी रिजर्वेशन को पूरा नहीं किया जा सकता था जो कि बाद में हुआ था।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने स्थान हरिजनों के अस्थायी रूप से खाली हैं ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—कोई स्थान हरिजन या गैर हरिजन का नहीं है। जितने स्थान लेखपालों के हैं वे सब टेम्पोरेरी हैं और उन पोस्ट्स पर जितने लेखपाल कार्य कर रहे हैं वे भी अस्थायी हैं।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६ हरिजन रक्खे गये थे उनमें कितने कार्य नहीं कर रहे हैं और क्या उनके स्थान खाली हैं और उन पर कोई कार्य कर रहा है ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि आया जो ६ हरिजन रक्खे गये थे उनमें से कोई अलहदा हुआ है और अगर अलहदा हुआ है तो उसके स्थान पर कोई कार्य कर रहा है या वह स्थान खाली पड़ा है।

जौनपुर-मलहनी-खुटहन सड़क पर तथा जौनपुर-शाहगंज सड़क पर प्राइवेट मोटरों से दुर्घटनायें

*३—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर से मलहनी होते हुये जो सड़क खुटहन को जाती है उस पर तथा जौनपुर से शाहगंज जो सड़क जाती है उस पर माह अगस्त, सन् ५३ से अब तक जौनपुर को चलने वाली प्राइवेट पब्लिक मोटरों से कितनी दुर्घटनायें हुईं और उनमें कितनी जानें गईं ?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जौनपुर मलहनी खुटहन मार्ग पर एक दुर्घटना उक्त समय में हुई जिसमें एक लड़की की मृत्यु हुई थी। यह दुर्घटना एक प्राइवेट बस से हुई थी। जौनपुर शाहगंज मार्ग पर कोई दुर्घटना नहीं हुई।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि जो लड़की की दुर्घटना मलहनी होते हुए खुटहन की सड़क पर हुई थी उसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—उसकी इंक्वायरी हो रही है और जो कम्पेनसेशन देना तै होगा वह दिया जायगा।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मलहनी खुटहन सड़क पर जो प्राइवेट बस से लड़की की दुर्घटना हुई है वह किन-किन कारणों से हुई है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—इसकी सूचना मेरे पास इस वक्त नहीं है।

तराई काशीपुर कोलोनाइजेशन क्षेत्र में लगान की वसूली में जबरदस्ती

*४—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को सूचना मिली है कि तराई काशीपुर कोलोनाइजेशन क्षेत्र में राजनीतिक शरणार्थी एवं अन्य काश्तकारों पर लगान वसूल करने में बहुत जबरदस्ती की जा रही है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—जी नहीं।

*५—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त क्षेत्र में लगान किस दर के आधार पर लगाया गया है?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई काशीपुर उपनिवेशन क्षेत्र में ६ रु० प्रति एकड़ की सामान्य दर (फ्लैट रेट) से लगान नियत किया गया था।

*६—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उपर्युक्त क्षेत्र में इस समय कुल कितने काश्तकार हैं, और वे कुल कितनी जमीन आबाद कर चुके हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—तराई काशीपुर उपनिवेशन क्षेत्र में इस समय १,३१४ काश्तकार हैं और उन्होंने अब तक २२,२२७ एकड़ भूमि आबाद की है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि काशीपुर क्षेत्र में पिछले ५ साल का बकाया लगान, तकावी का रुपया बाकी होने की बिना पर काश्तकारों की कुर्की निकाली गयी है?

श्री चरण सिंह—जी हां, जो बकाया होता है वह वसूल किया जाता है उनको यहां पर कुछ सहूलियत दी गयी है कि सारा एकदम वसूल न किया जाय। अगर कोई फिर भी नहीं देता है तो उसकी कुर्की निकाली जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इस कोलोनाइजेशन क्षेत्र को आबाद करते समय उस सरकारी कमेटी की रिपोर्ट में भी प्रस्ताव करने वालों के प्रस्ताव में यह कहा गया था कि पहले सालों में लगान इन काश्तकारों से नहीं वसूल किया जायगा?

श्री चरण सिंह—अगर कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट किया गया था तो वह जरूर आनर किया गया होगा लेकिन जो रुपया बाकी है वह तो वसूल किया ही जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह बकाया कितने सालों के लगान का माना जाता है।

श्री चरण सिंह—जो करेन्ट ईयर होता है उसके पहले साल का माना जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि अभी ठीक प्रकार वहां पर जमीन आबाद नहीं हुयी है यह लगान के सम्बन्ध में जो कुर्की की आज्ञा है उसको स्थगित करके लगान को माफ कर देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—माफ करने का तो कोई सवाल नहीं है। किन्तु सहूलियत देने के लिए जिलाधीश और स्थानीय जो राज्यकर्मचारी हैं उनको अधिकार प्राप्त है कि वह चाहें तो सहूलियत दे सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि किसानों पर कितना लगान अभी शेष है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—वहां पर कुल लगान ३५०, ३६३ रुपया ६ आना था। अभी उसमें से १५३ ७६४, १४ आने वसूल हुआ है। अभी तक १९६,५९९ आने बाकी हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि तेरह सौ चौदह सौ किसानों के लिए जो २२,२१४ एकड़ जमीन तोड़ी गयी थी उनको अभी तक कितनी कुल जमीन दी गयी ?

श्री चरण सिंह—कोलोनाइजेशन में जितनी जमीन दी गयी वह सब तोड़कर दी गयी थी। गवर्नमेंट इस्टेट में तोड़ने या न तोड़ने का सवाल होता है। वहां पर तो तोड़कर ही दी गयी है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ६ रुपया एकड़ के रेट पर जो जमीन दी है उसके आसपास में सरकिल रेट क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—वहां पर आसपास में जो भूमि है कोलोनाइजेशन क्षेत्र के बाहर उसमें अलग-अलग किस्म की अलग-अलग जमीन हैं। कोलोनाइजेशन क्षेत्र में जो रेट हैं उस रेट का सरकिल रेट से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह रेट उस जमाने के लगे हुए हैं जब कि वहां पर जंगल पड़ा हुआ था और वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अब वहां पर बिजली, सड़क, पानी, की सुविधा हो गयी है। इस वजह से अब वह सरकिल रेट वहां पर नहीं लग सकता। बल्कि यह देखना पड़ता है कि कोलोनाइजेशन की भूमि की इस समय जो स्थिति है वह इस किस्म की है जैसे मैदानी इलाके में होती है और उसको ही हमें देखना पड़ता है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जमींदारी ऐक्ट में जो नियम लिखा हुआ है कि सरकिल रेट से दुगुनी मालगुजारी नहीं होगी तो इस हैसियत से क्या यह नियम वहां पर लागू नहीं होगा ?

श्री चरण सिंह—जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में इस प्रकार की धारा नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि तराई के काश्तकारों से क्राउन ग्राउन्ड ऐक्ट के अनुसार लगान फ्लैट रेट से वसूल किया जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन १३,१४०० काश्तकारों को कितनी जमीन अलाट की गयी थी ?

श्री जगन प्रसाद रावत——इसकी इत्तिला के लिये नोटिस की आवश्यकता है। अगर किसी खास काश्तकार की बाबत जानना चाहते हैं तो बतलाया जा सकता है लेकिन इन सबके लिये बतलाना मुश्किल है ?

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो लगान बाकी है वह इसलिए बाकी है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है या वह नादेहन्द हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत——जहां तक आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है बहुत कुछ सहूलियत के साथ उनसे लगान मांगा गया था लेकिन वह लोग देने को तैयार नहीं होते तो यह लगान उसी वजह से बाकी है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि पोलीटिकल सफरर को भी बकाया लगान के लिये हवालात में बंद किया गया ?

श्री चरण सिंह——इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है। चाहे पोलीटिकल सफरर हो या और कोई हो मालगुजारी तो उसको देनी ही होगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ सोसाइटीज ने अपने लगान और ड्यूज को मुल्तवी करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत——जी हां, कुछ सोसाइटीज और कुछ व्यक्तियों ने समय-समय पर इस बात को जाहिर किया था कि उनको लगान देने में दिक्कत है। उनसे बार-बार यह कहा गया था कि जितना वे दे सकते हैं उतना वे दे दें और उनको जो दिक्कतें होंगी उनके सम्बन्ध में काफी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायगा। जो लोग बिलकुल भी देने को तैयार नहीं हैं उनके बारे में कुछ विचार करने के कोई माने नहीं है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह——क्या यह सच है कि पिछले तीन सालों से प्राकृतिक कारणों से वहां की फसलें खराब होती रही हैं।

श्री जगन प्रसाद रावत——कहीं-कहीं पर ऐसा हुआ है और जहां ऐसा हुआ है वहां साधारण नियमों के अनुसार छूट देने की कार्यवाही की जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि १३,१४ सौ काश्तकारों में राजनैतिक कार्यकर्ता, एक्स मिलिटरी मैन तथा शरणार्थी कितने-कितने हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत——इन १३,१४ सौ काश्तकारों में से ७२६ शरणार्थी, और ५२ राजनैतिक कार्यकर्ता हैं ?

जिला आजमगढ़ में बाढ़ पीड़ितों की सहायता

*७——**श्री रामसुन्दर पाण्डय** (जिला आजमगढ़)——क्या माल मंत्री बतानेकी कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मुफ्त सहायता में कितना धन दिया गया तथा वह धन किन-किन तहसीलों में किन-किन मदों में कितना-कितना दिया गया ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जिला आजमगढ़ में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए ५०,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इसमें से कुल ३५,६३६ रु० १३ आ० ११ पा० खर्च हुआ। इसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१ पर)

*८—श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि निर्धन जनों को भवन निर्माण मद में सहायतायें दी गयी हैं ? यदि हां, तो जिला आजमगढ़ में किन-किन तहसीलों में कितना-कितना दिया गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी हां। जिला आजमगढ़ में बाढ़ से ध्वस्त गृहों के पुनर्निर्माण के हेतु २०,००० रु० मुफ्त सहायता, ३७,००० रु० तकावी तथा ऋण स्वीकृत किया गया। तहसीलवार विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५२ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब ५० हजार रुपये की धनराशि मुफ्त सहायता की मद में दी गयी थी तब केवल ३५६३१ रुपया ही क्यों खर्च किया गया ?

श्री चरण सिंह—क्योंकि गवर्नमेंट ने उदारता से जरूरत से ज्यादा दे दी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि फूलपुर तहसील सबसे बड़ी तहसील है फिर उसमें सबसे कम सहायता क्यों दी गयी ?

श्री चरण सिंह—सहायता तहसील के बड़ा और छोटा होने पर निर्भर नहीं करती। छोटी तहसील में ज्यादा आवश्यकता हो सकती है और बड़ी में कम हो सकती है जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसी ही दी जाती है।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि फूलपुर तहसील में बाढ़, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से फसलें खराब हुयी हैं ?

श्री चरण सिंह—यह मालूम है कि बराबर २–३ सालों से मुसीबत आ रही है, नुकसान हुआ है लेकिन किस तहसील में कितना नुकसान हुआ है यह इस वक्त नहीं बताया जा सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि गत वर्ष भी मुफ्त सहायता जो आजमगढ़ जिले में दी गयी थी उसमें से फूलपुर तहसील में केवल ८५ रुपया ही खर्च किया गया ?

श्री चरण सिंह—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत है। यह मुमकिन नहीं है कि पिछले साल के आंकड़े याद रख कर इस वक्त जवाब दिया जाय।

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क के लिए कितना रुपया दिया गया है तथा वह धन कितना-कितना कहां-कहां व्यय हुआ है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में २,२५,००० रु० स्वीकृत किया गया था। इस धन में से २,१९,५९४ रु० ८ आ० ३ पा० व्यय हुआ। यह धन किस प्रकार व्यय हुआ उसका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३ पर।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि २,२५,००० रु० जो टेस्ट वर्क के लिए दिया गया था उसमें से २,१९,५६४ रु० ८ आने ही क्यों खर्च किया गया और शेष रकम क्यों नहीं खर्च की गयी ?

श्री चरण सिंह——साहब, २,२५,००० रु० में २,१९,०००रु० खर्च हो गया। ६ हजार रु० ही नहीं खर्च हुआ। यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ही डिस्पोजल पर है। अभी टेस्ट वर्क चल रहा है। ६ हजार क्यों नहीं खर्च हुआ, इसका जवाब देना मेरी बुद्धि से बाहर है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या यह सही है कि बहुत से स्थानों पर टेस्ट वर्क करने की मांग थी फिर भी टेस्ट वर्क बन्द कर दिया गया और इसीलिये रुपया खर्च नहीं हुआ ?

श्री चरण सिंह——टेस्ट वर्क वहां अभी चल रहा है। अगर रुपया नहीं खर्च हुआ तो यह मतलब नहीं है कि २,२५,००० रु० जो कि यहां से दिया गया था वह हर रोज ही खर्च हो जाय। हर शाम को यहां से रुपया जाकर हर रोज खर्च हो जाय, यह तो नामुमकिन है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या यह सही है कि फूलपुर तहसील के निर्वाचित एम०एल०एज० और स्थानीय पार्टीज के कार्यकर्ताओं ने फूलपुर तहसील में व्यापक पैमाने पर टेस्ट वर्क जारी करने के लिए कोई आवेदन-पत्र या वक्तव्य दिया था ?

श्री चरण सिंह——इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय माल मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसीलों में कितना-कितना खर्च हुआ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——तहसील घोसी में ५१,५१८ रु० ३ आ०, तहसील सगरी में ५१,३०४ रु० १ आ० ६ पाई, तहसील लालगंज में १४,२२१ रु० ६ आ०, सदर में ६,६५० रु० ६आ० ६ पाई, मोहम्मदाबाद में ९५,७५१ रु० १ आ० ९ पा० और फूलपुर में १४९ रु० ५ आ० ६ पाई खर्च हुए।

श्री रामवचन यादव——फूलपुर तहसील में सबसे कम खर्च होने का कारण क्या है ?

श्री चरण सिंह——इस वजह से जिस बिना पर माननीय राम सुन्दर पांडेय जी ने सवाल किया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या यह सही है कि फूलपुर तहसील जो सबसे बड़ी और ऊसर तहसील है वहां से टेस्ट वर्क की ज्यादा मांग सरकार के पास आयी है ?

श्री चरण सिंह——जैसा कि पहले ही मैंने अर्ज किया था कि बड़े छोटे का सवाल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जहां के लिए जरूरत समझते हैं वहां के लिये लिखते हैं और जब भी उन्होंने लिखा हमने रुपया के लिए मनाही नहीं की है। एक पैसा भी कम नहीं किया है। जब जितना चाहते हैं लिख कर भेज देते हैं। मौके पर तो वही होते हैं इसलिये वे ही तय करते हैं कि कहां पर क्या खर्च करना है।

श्री व्रज विहारी मिश्र——क्या माननीय माल मंत्री को ज्ञात है कि फूलपुर तहसील में जब किसी सड़क पर टेस्ट वर्क आरम्भ हुआ तो फिर तत्काल ही उसे बन्द कर दिया गया। यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

श्री चरण सिंह——इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रधानों को लेखपालों द्वारा गांव की खतौनी बनाकर देने की आज्ञा

*१०——**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में भूमि प्रबंधक कमेटियों के प्रधानों को लेखपालों द्वारा गांव की खतौनी बना कर देने के लिए आज्ञा दी गयी है ?

श्री चरण सिंह---भूमि प्रबन्धक कमेटी के प्रधानों को अधिवासी और असामी की खतौनी की नकल देने के आदेश जारी किये जा रहे हैं। लेखपालों के पास काम ज्यादा था इसलिए यह आदेश अभी तक जारी नहीं किये जा सके, मगर लेखपालों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने कागजात की नक़ल भूमि प्रबंधक कमेटी को वक्त जरूरत फौरन दे दिया करें।

गांव समाज के मुकदमों के लिये वकीलों और मुख्तारों की नियुक्ति

*११---**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव समाज के मुकद्दमों की पैरवी करने के लिए प्रत्येक तहसील में वकील और मुख्तार मुकर्रर किये गये हैं? यदि हां, तो उन्हें क्या तनख्वाह दी जाती है ?

श्री चरण सिंह---जी हां। इन वकीलों तथा मुख्तारों को रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के ८वें अध्याय के नियमों के अनुसार फीसदी फीस दी जायगी किन्तु किसी मुकदमें में फीस ५ रुपये से कम न होगी।

देवरिया जिले में पानी से घिरे हुये स्थान

*१२---**श्री बद्री नारायण मिश्र**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला में कितने ऐसे स्थान हैं जहां चारों ओर पानी घिरा हुआ है और खेती की क्षति हो रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---देवरिया जिले में इस समय ऐसा कोई स्थान नहीं है जो पानी से घिरा हुआ हो। परन्तु गत वर्ष बाढ़ के समय लगभग १४० गांव ऐसे थे जो पानी से घिरे थे और जिसके कारण खेती को क्षति हुयी।

*१३---**श्री बद्री नारायण मिश्र**---क्या इन स्थानों से पानी निकाल देने का प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---इस समय पानी निकालने की व्यवस्था करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री बद्री नारायण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या भाटपररानी के उत्तर में बेलपरताल के पानी के कारण मधऊर गांव में पानी भरने के कारण वहां की खेती नष्ट हो गयी है ? और अब भी ताल में पानी भरा है ?

श्री चरण सिंह---ताल का जो तल है उस में तो पानी भरा ही रहता है लेकिन पानी से गांव घिरा हो ऐसी कोई बात नहीं है।

पनीका ग्राम, थाना बरहज, जिला देवरिया के बाजार के लगान की वसूली

*१४---**श्री बद्री नारायण मिश्र**---क्या सरकार को ज्ञात है कि नयी पनीका ग्राम, थाना बरहज, जिला देवरिया में जो बाजार लगता है उसकी लगान वसूली अभी जमींदार करते हैं और वह लगान का पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं होता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---जी हां।

श्री बद्री नारायण मिश्र---जमींदारी टूटने के बाद फिर इन जमींदार को मालगुजारी क्यों वसूल करने दिया जाता है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--यहां के जमींदार ने नोटिस दायर कर दिया है और इन-टेरिम इंजक्शन जारी करा दिया है, जब तक वह है तब तक वह वसूली कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसकी भूमि पर यह बाजार लगती है ?

श्री चरण सिंह--यह प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है, यह बाजार की तहबाजारी का ही मामला है, लगान कहने से जरा भ्रम पैदा होता है।

*१५--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

नैनीताल तराई क्षेत्र में जमीन पाने वाले व्यक्ति

*१६--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार बतायेगी कि नैनीताल तराई क्षेत्र में जिन लोगों को जमीन मिली है उनमें कितने राजनैतिक पीड़ित हैं, कितने शरणार्थी हैं और कितने सरकारी अधिकारी हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सूचना निम्नलिखित है :--

राजनैतिक पीड़ित	शरणार्थी	सरकारी अधिकारी
७६७	२४०८	८५

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह ८५ सरकारी अधिकारी किस श्रेणी के हैं और किस आधार पर जमीन दी गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--सूचना की आवश्यकता है।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन ३ श्रेणियों के अतिरिक्त महाराज पटियाला, ग्वालियर और भद्री के ताल्लुकेदार को भी जमीन दी गयी है ?

श्री चरण सिंह--इसका विवरण तो इस वक्त नहीं है कि किस को कितनी जमीन दी गयी है।

श्री झारखंडे राय--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन राजनैतिक पीड़ितों और सरकारी अधिकारियों को प्रति व्यक्ति कितनी जमीन और किस नियम के अनुसार दी गयी है।

श्री चरण सिंह--राजनैतिक पीड़ितों को १५ एकड़ फी कस एक इलाके में और दूसरे इलाके में उनको दस एकड़ फी कस। जब जमीन ज्यादा थी तो नियम और थे और नियम बदलते रहते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे की सरकारी कर्मचारियों को जो जमीन दी गयी उसका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति क्या है ?

श्री चरण सिंह--इन सरकारी कर्मचारियों में कोई बड़े अफसरान नहीं हैं बल्कि वह ट्रैक्टर आपरेटर वगैरह हैं जो कि वहां जब बीहड़ जंगल था उस को काटने गये थे और उसी वक्त उनसे भी कह दिया गया था कि तुमको भी थोड़ी सी जमीन दे दी जायगी और उसकी तादाद बमुश्किल तमाम दस पंद्रह एकड़ होगी। उसकी तफसील माननीय सदस्य चाहें तो नोटिस दे कर मांग सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल तराई क्षेत्र की जो लिस्ट है उसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनको खास स्टेट में जमीन दी गयी है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--हां, तराई भाबर और कोलोनाइजेशन दोनों इसमें शामिल हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिनको यह जमीनें दी गयी हैं उनके पास पहले से भी बहुत ज्यादा जमीनें हैं ?

श्री चरण सिंह--गवर्नमेंट स्टेट्स में जब जमीन दी जाती थी तो यह नहीं देखा जाता था कि पहले से इसके पास जमीन है या नहीं, लेकिन इधर दो सालों से मैंने यह किया है कि जिनके पास जमीन पहले से है उनको जमीन न दी जाय कालोनाइजेशन में। गवर्नमेंट स्टेट्स में दो सालों से देना बन्द था। अब १०,१० एकड़ जमीन देने का अधिकार ए०डी०एम० और सुपरिन्टेन्डेन्ट खास को दे दिया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह सही है कि कुमायूं में दस हजार भूमिहीनों ने दरख्वास्त दी है लेकिन उन्हें जमीन नहीं दी गयी।

श्री चरण सिंह--यह गलत है कि दस हजार भूमिहीनों ने दरख्वास्त दी है।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि वहां पर जिन राजनीतिक पीड़ितों को जमीन दी गयी उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने राजनीतिक पीड़ित न होते हुए भी गलत सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री चरण सिंह--ऐसी कुछ शिकायत आयी थी और उस पर तहकीकात हुयी। ५ आदमियों की शिकायत आयी। चार आदमियों की तहकीकात मुकम्मल हो गयी है और एक आदमी की तहकीकात अभी चल रही है। उन चार आदमियों की तहकीकात से मालूम हुआ है कि ऐसी फ़र्जी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

*१७-१८--**श्री खुशी राम** (जिला अल्मोड़ा)--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*१९-२१--**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती)--[२४ मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

हिन्द फ्लाइंग क्लब के पदाधिकारियों को मासिक पुरस्कार एवं सवारी व्यय

*२२--**श्री रामनारायण त्रिपाठी**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह हिन्द फ्लाइंग क्लब के कौन-कौन पदाधिकारियों को कितना-कितना मासिक पुरस्कार और सवारी खर्च देती है और उनके नाम और पते क्या हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सूचना इकट्ठा की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह प्रश्न सरकार के पास ६ मार्च को गया था। एक महीना २० दिन हो जाने के बावजूद भी क्या कारण है कि अब तक लखनऊ से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी सूचना मेरे पास शनिश्चर को आयी थी लेकिन हमने उसे एग्जामिन किया तो मालूम हुआ कि उसमें कुछ कमी रह गयी है इसलिए फिर से मुकम्मिल सूचना मंगाई गयी है, क्योंकि हाउस के सामने अधूरी सूचना देना ठीक नहीं है।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हिन्द फ्लाइंग क्लब के पदाधिकारियों का क्या कोई रजिस्टर नहीं रहता जिसमें यह दर्ज हो कि उनकी कितनी तनख्वाह है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—रजिस्टर रहता है। उसकी सूचना मंगाई गई है।

प्रतापगढ़ जिले में डेरी फार्म खोलने के लिये तकावी

*२३—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले पांच वर्षों में डेरी खोलने के लिए ५,००० रु० से अधिक की तकावी किन-किन लोगों को दी गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—गत ५ वर्षों के अन्तर्गत प्रतापगढ़ जिले में किसी को भी डेरी फार्म के लिये तकावी ऋण नहीं दिया गया।

*२४—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में पिछले पांच वर्षों में पोल्टरी खोलने के लिए ५,०००) से अधिक की तकावी किन-किन व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—किसी को नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब तकावी नहीं दी गयी तो क्या एक मुश्त आर्थिक सहायता किसी को दी गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सहायता दी गयी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय राजस्व मंत्री जी उन लोगों का नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिनको डेरी के लिए पांच हजार से अधिक आर्थिक सहायता एकमुश्त दी गयी।

श्री जगन प्रसाद रावत—यह नया प्रश्न है। इसकी सूचना की आवश्यकता है, क्योंकि यह तफसील मेरे पास नहीं है।

जिला बस्ती की तहसील खलीलाबाद में हैसर बाजार से बड़गो बसवारी गांव की सड़क पर टेस्ट वर्क

*२५—**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद के दक्षिणी क्षेत्र में हैसर बाजार से बड़गो बसवारी गांव की सड़क पर जो टेस्ट वर्क से बन रही है, कब से काम शुरू हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तहसील खलीलाबाद के दक्षिणी क्षेत्र में हैसर बाजार से बड़गो बसवारी गांव की सड़क पर टेस्ट वर्क ११ जनवरी, १९५४ को शुरू हुआ।

*२६—**श्री रामसुन्दर राम**—क्या माल मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि वह सड़क कुल कितनी लम्बी है और क्या वह गोरखपुर व फैजाबाद से भी मिली हुयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हैसर से बसवारी गांव की सड़क ८ मील लम्बी है। यह सड़क गोरखपुर तथा फैजाबाद से भी मिली हुयी है।

*२७—**श्री रामसुन्दर राम**—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सड़क पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—इस सड़क पर टेस्ट वर्क में कुल ८,२२२ रु० ३ आ० व्यय हुआ है।

श्री रामसुन्दर राम---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किस तारीख को टेस्ट वर्क का काम बन्द हुआ और जिस दिन काम बन्द हुआ उस दिन कितने मजदूर काम कर रहे थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---३० फरवरी, सन् ५४ को काम बन्द हुआ और उस दिन कितने मजदूर काम पर थे इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर राम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टेस्ट वर्क का काम बन्द होने से उस क्षेत्र में बहुत ही असन्तोष फैला हुआ है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इसकी सूचना तो सरकार को नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने रुपये से कितनी मील सड़क बन गयी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---साढ़े तीन मील।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस कारण से यह टेस्ट वर्क बन्द किया गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---परिस्थिति जब ठीक होती है और मजदूर काफी नहीं मिलते हैं तब टेस्ट वर्क बन्द कर दिया जाता है और जब काम खत्म हो जाता है तब भी टेस्ट वर्क बन्द कर दिया जाता है।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह पता लगाने की कृपा करेंगे कि जिस रोज काम बन्द किया गया उस रोज पांच सौ से अधिक मजदूर काम पर आये थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो जवाब दिया जा चुका है कि यह पता नहीं है कि उस दिन कितने मजदूर काम पर आये थे जिस दिन काम बन्द किया गया था।

*२८-३०---**श्री प्रतिपाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---[२९ अप्रैल, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५३-५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राज्य में बाढ़ तथा अति वृष्टि से हानि

*३१---**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि से जो क्षति खरीफ की फसल को और दूसरे प्रकार की हुई उसका कोई ब्योरा सरकार के पास मौजूद है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह---जी हां, राज्य में बाढ़ तथा अतिवृष्टि से होने वाली हानि का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे ५४ पृष्ठ पर)

*३२---**श्री गेंदा सिंह** (अनुपस्थित) सरकार ने क्षतिग्रस्त इलाकों की जो सहायता की उसका कोई ब्योरा प्रादेशिक सरकार के कार्यालय में है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री चरण सिंह---जी हां, सहायता का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५५ पर)

*३३—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)— देवरिया जिले के पशुओं की भारी संख्या में मृत्यु तथा लावारिश छोड़ दिये जाने की सूचना सरकार को मिली है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्री चरण सिंह—देवरिया जिले में चारे के अभाव के कारण पशुओं की भारी संख्या में मृत्यु तथा उनके लावारिश छोड़ दिये जाने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है। केवल बाढ़ के समय देवरिया तहसील के कुछ भागों में पशु लावारिश घूमते हुए देखे गये थे, परन्तु बाढ़ के बाद पशुओं के मालिक उन्हें अपने घर ले गये।

बाढ़ के कारण चारे की कमी हो गई थी, यह सत्य है। इस कमी को पूरा करने के लिये २५ वैगन जंगल की सूखी घास, २५ वैगन भूसा, तथा १० वैगन खोइया मंगाई गई। हाटा तहसील के उत्तरी क्षेत्र के निकटवर्ती सरकारी जंगलों में पशुओं को मुफ्त चरने की छूट दे दी गई थी। चारे के कमी की अब कोई आशंका नहीं है।

जमींदारी उन्मूलन के दिन बस्ती जिला बोर्ड को प्राप्त हाट व घाट

*३४—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ जुलाई, सन् १९५२ ई० (जमींदारी उन्मूलन के दिन) बस्ती जिले के कौन-कौन से हाट व घाट जिला बोर्ड बस्ती को मिले थे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५६–६१ पर)

*३५—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनमें से कितने हाट व घाट अब जिला बोर्ड बस्ती के पास रह गये हैं और कितने भूतपूर्व जमींदारों को वापस कर दिये गये ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिला बोर्ड बस्ती के पास अब केवल एक बाजार और १० घाट रह गये हैं। १८ हाट भूतपूर्व जमींदारों को वापस कर दिये गये।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १८ हाट जो भूतपूर्व जमींदारों को वापस किये गये हैं वह किस आधार पर वापस किये गये हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जो हाट उनकी सीर, भूमिधरी या बाग में लगते थे वह सरकार ने कायदे के मुताबिक उनको वापस कर दिये ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन से पूर्व हाट और घाट इसी जिले में ग्राम समाजों को भी दिये गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य— जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या उनकी संख्या भी बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—सूची में संख्या दी हुई है और बहुत बड़ी संख्या है।

मुंडेरवा मिल जोन में गन्ना विभाग द्वारा जनहित कार्य

*३६—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि केन० डे० विभाग की तरफ से मुंडेरवा मिल जोन में कौन-कौन से काम जनता के हित में किये गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--मुंडेरवा मिल जोन में गन्ना विभाग द्वारा जनहित में किये गये कार्यों का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६२-६६ पर)

श्री राजाराम शर्मा--जो विवरण दिया गया है उसमें पंचायत घर बनाने का जिक्र है तो यह पंचायत घर बनाने में कितना खर्च हुआ है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

भूमि प्रबन्धक कमेटियों के सदस्यों एवं प्रधानों को गांव समाज मैनुअल का ज्ञान कराने की व्यवस्था

*३७--**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)-- क्या सरकार भूमि प्रबन्धक कमेटियों के सदस्यों तथा प्रधानों को गांव समाज मैनुअल का सम्यक् रूप से ज्ञान कराने की कोई व्यवस्था शीघ्र ही कर रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था बहुत पहले ही कर चुकी है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस प्रकार की व्यवस्था की गई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह तो ग्राम समाज मैनुअल है उसके भेजने से जानकारी हुई। इसके अतिरिक्त एस० डी० ओज० तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को आदेश दिये गये कि जब वे अपने टूर पर जायं तो भूमि प्रबन्धक समिति की मीटिंग बुलायें और लोगों को इसका ज्ञान करायें। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने लगभग प्रदेश के सभी जिलों में बड़ी-बड़ी मीटिंग्स कीं, सारे जिलों की भूमि प्रबन्धक समितियों को बुलाया और लेखपालों को भी बुला कर जो भी जानकारी देनी थी वह उन लोगों को दी। मैंने भी २५ जिलों में इसी प्रकार की मीटिंग्स की और लेखपालों को बलाया और जानकारी कराने का प्रयत्न किया इस तरह से काफी प्रचार किया गया और लोगों को जानकारी कराई गई।

गाजीपुर जिले में नदियों की बाढ़ से बहे हुये ग्राम

*३८--**श्री यमुना सिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि गाजीपुर जिले में भगई, वेसी, टोस भैंसही, गोधनी नदियों के किनारे के कितने ग्राम गत बाढ़ से बह गये हैं ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--गत बाढ़ में इन नदियों के किनारे का कोई भी ग्राम नहीं बहा है।

श्री कमला सिंह--क्या सरकार को मालूम है कि निम्नलिखित गांव बह गये हैं धमराव, मुडियारी, बलुआ, रामगढ़, फिरोजपुर, कोडरा, पालनतरी, सरायकुवारा, खतीरपुर, करचाकोइरी, नवाबगंज, रकबा....

श्री अध्यक्ष--ऐसे कितने गांव हैं ? सबके नाम लेने की जरूरत नहीं है।

श्री कमला सिंह--इस तरह के ३८ गांव हैं जो बह गये हैं और भी गांव हैं जो बह गये हैं। क्या सरकार को इनका पता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जिन गांवों का नाम माननीय सदस्य ने लिया है सम्भव है उन गांवों में फसल को नुकसान हुआ हो लेकिन कोई गांव बहा नहीं है। यह भी सम्भव है कि फसल बह गई हो, नुकसान हुआ हो।

श्री कमला सिंह---गांवों को मैंने खुद देखा है। जिन गांवों का नाम मैंने अभी लिया है वहां मकान तक बह गये हैं? क्या माननीय मंत्री जी को पता है?

श्री चरण सिंह--- हमारी इत्तिला के अनुसार गांव बहे नहीं हैं। बहना किसे कहते हैं यह विवादास्पद सवाल है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि कहीं नीचे से गलत इत्तिला तो सरकार के पास नहीं भेजी गई?

श्री चरण सिंह---अभी तो हमारे पास कोई ऐसी वजह नहीं है जिससे यकीन किया जाय कि इत्तिला गलत है?

श्री कमला सिंह---क्या सरकार बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में मकान बनाने के लिये सहायता देने की कृपा करेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो जितने मकान ध्वस्त हो जाते हैं उनको सरकार सहायता देती है। जिन जिलों से ऐसी रिपोर्टें आईं सरकार ने सहायता दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी ऐसे गांवों का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां सम्भवतः सारी फस्ल बह गयी हो?

श्री अध्यक्ष---यह संभावना का सवाल है। यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या राजस्व मंत्री को सूचना है कि जिन गांवों का नाम माननीय कमला सिंह ने लिया उनमें सैकड़ों मकान बह गये हैं?

श्री चरण सिंह---जी नहीं, ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

मिर्जापुर की चुनार तहसील में ओला पड़ने से क्षति

*३९---श्री राज कुमार शर्मा---(जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को पता है कि मिर्जापुर की चुनार तहसील में गत फरवरी मास में ओला पड़ने से क्षति हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जी हां।

*४०---श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस तहसील के किस परगने में कितने ग्रामों में ओला पड़ा और उससे रबी के खेती की कितनी हानि हुई है? क्या यह सही है कि घरों के खपरैलों को बड़ी हानि हुई है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---इस तहसील के परगना भुइली के ४८ ग्रामों में रबी की फसल को काफी हानि पहुंची है। हानि की मात्रा इस प्रकार है:

४६ गांवों में १२ आने से १६ आने तक

२ गांवों में ८ आने से १० आने तक।

घरों को खपरैलों को भी कहीं-कहीं हानि पहुंची।

*४१---श्री राजकुमार शर्मा---सरकार इन ओला-पीड़ित क्षेत्रों की क्या सहायता करने जा रही है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---हानि-ग्रस्त क्षेत्र में मालगुजारी में नियमों के अनुसार उचित छूट देने और बैल तथा बीज खरीदने के लिये तक़ावी बांटने की कार्यवाही की जा रही है, सस्ते गल्ले की दुकानें भी खोली गई हैं।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार, जिन ग्रामों में ८ आने से १० आने तक हानि हुई है, उन ग्रामों के नाम बताने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—गांव के नाम तो मेरे पास नहीं हैं।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या यह सही है कि तकाबी का रुपया बिना जमीन की जमानत के जमीन वालों को नहीं मिलता ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वह तो लैंड रेकार्ड मैनुअल में दिया हुआ है कि बिला जमानत के नहीं मिलती।

श्री राज कुमार शर्मा—क्या सरकार गरीबों, हरिजनों तथा पिछड़े हुए लोगों के घरों की मरम्मत के लिए काफी सहायता देने की दया करेगी ?

श्री चरण सिंह—ओला पड़ा है, फसल नष्ट हुई है। इसमें घरों की मरम्मत का क्या सवाल है ?

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री जी को पता है कि चुनार क्षेत्र में जहां ओला पड़ा है, उन किसानों से रबी की मालगुजारी भी सख्ती के साथ वसूल की जा रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—हां, ऐसा....

श्री चरण सिंह—जी, यह बात गलत है कि सख्ती से वसूल की जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में एक बात जानना चाहता हूं कि जब माननीय सभा सचिव उत्तर दे रहे थे तो उसको माननीय माल मंत्री ने उत्तर देने से रोका, आब्स्ट्रक्ट किया। क्या आप इसे उचित समझते हैं सदन में ?

श्री अध्यक्ष—आब्स्ट्रक्ट करना अवश्य बुरा है, लेकिन यहां जिम्मेदारी किसकी है ? उत्तर देने के लिये हम माननीय मंत्री को जिम्मेदार समझते हैं वे अपने सभासचिव को अवश्य रोक सकते हैं। लेकिन अगर मंत्री को सभा सचिव रोक दें तो वह अनुचित होगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या इस चुनार तहसील के ओला-पीड़ित क्षेत्र से रबी की मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—ओला पड़ जाय, पाला पड़ जाय, सूखा पड़ जाय, बाढ़ आ जाय तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार होता है कि वह खुद मालगुजारी को स्थगित कर दे और तभी वह उसकी रिपोर्ट कर दे। तो जहां ओला पड़ा है, जहां दस आने से सोलह आने तक फसल को नुकसान पहुंचा है, वहां मालगुजारी वसूल करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में भूमिधर

*४२—**श्री उमा शंकर** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कुल कितने भूमिधर बने हैं और उनसे कुल कितना रुपया वसूल हुआ है ?

श्री चरण सिंह—बाराबंकी जिले में कुल ३५,८४४ भूमिधर बने हैं और उनसे कुल ५२,६८,८७३ रु० वसूल हुये हैं।

*४३--श्री उमा शंकर (अनुपस्थित)--उक्त भूमिधरों में से कितने प्रमाण-पत्र पा चुके हैं और कितनों ने अभी नहीं पाये हैं?

श्री चरण सिंह--उक्त सभी भूमिधर प्रमाण-पत्र पा चुके हैं।

खिसौली, जिला अलीगढ़ में आग लगने के निमित्त सरकारी रुपया बांटने में घूस खोरी

*४४--श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव खिसौली, तहसील, इगलास अलीगढ़ में आग लग जाने के कारण वहां के आदमियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य-- जी हां।

*४५--श्री राम प्रसाद देशमुख--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के लोगों ने लिखित शिकायत की थी कि लेखपाल और कानूनगो दोनों ने इस सहायता का १/३ हिस्सा रिश्वत के रूप में ले लिया? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां। जिला अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच कराई गई है, अभी निर्णय नहीं हुआ है।

श्री राम प्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निर्णय होने की कब तक आशा की जाती है?

श्री चरण सिंह--इसमें देर यों हो गई कि पहले तहकीकात की थी। फिर माननीय सदस्य ने शिकायत की तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा कि मौके पर जाकर तहकीकात करो और फिर वह मिसिल हमने अपने पास मंगा ली थी, उसको वापस भेजा कि फिर से तहकीकात करके भेजो इसलिये देर हो गई। अब जल्दी हो आशा की जाती है कि किसी नतीजे पर पहुंच जायंगे।

श्री राम प्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां के कानूनगो की शिकायत आने के बाद उसको दूसरी तहसील में नायब तहसीलदार बनाकर भेज दिया गया?

श्री चरण सिंह--जी हां। भेजा गया था लेकिन फिर उसे वापस कर दिया गया।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इगलास तहसील के खिसौली गांव में कितने परिवारों को कितनी सहायता दी गई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खिसौली गांव में आग लग जाने के कारण कितने रुपये की क्षति हुई है?

श्री चरण सिंह--इस वक्त तो यह याद नहीं है। फाइल मेरे पास मौजूद है। उसके देखने में जरा देर लगेगी।

श्री राम सुन्दर पांडेय--क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर जो सहायता दी गई, वह किस-किस मद में कितनी-कितनी दी गई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—५४० रुपये की सहायता दी गई। किस मद में दी गई, वह तो आग लगने की वजह से दी गई थी।

फ़तेहपुर में लगान वसूली के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति में हरिजनों का प्रतिशत कोटा

*४६—**श्री भगवानदीन वाल्मीकि** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर में लगान की वसूली के सम्बन्ध में रखे गये अमीन, चपरासी, क्लर्क और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति संख्या अलग-अलग क्या है?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—फतेहपुर में मालगुजारी की वसूली के सम्बन्ध में रक्खे गये अमीन, चपरासी, क्लर्क और नायब तहसीलदार की नियुक्ति संख्या निम्नलिखित है :—

अमीन	..	८४
चपरासी	..	८४
क्लर्क	..	१२
नायब तहसीलदार	..	७

*४७—**श्री भगवानदीन वाल्मीकि**—क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त जगहों पर कितने हरिजनों को नियुक्त किया गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—उपर्युक्त जगहों पर हरिजनों की नियुक्ति संख्या निम्नलिखित है :—

अमीन	..	१
चपरासी	..	४
क्लर्क	..	१
नायब तहसीलदार	..	२

श्री भगवानदीन वाल्मीकि—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अमीन और चपरासियों की जगहों पर हरिजनों का १८ प्रतिशत कोटा पूरा न होने का क्या कारण था?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कायदा यह था कि जिनको फसल की वसूली का तजुर्बा हो, एक से अधिक फ़सल का, वही अमीन रखे जायं। तो जब यह नियुक्ति हुई उस समय हरिजन पहले के तजुर्बेकार नहीं मिले और चपरासी जो रखे गये उनमें भी जो पुराने अलग हुये थे, उनका भी लिहाज करके रखा गया। लेकिन चपरासियों के सम्बन्ध में जिलाधीश उनका रिजर्वेशन पूरा करने का प्रयत्न जारी रखे हुये हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि तजुरबेगाह में कुछ और हरिजनों को तैयार करके भविष्य के लिये रखा जायगा ताकि जब जरूरत पड़े तो उनको ले लिया जाय?

श्री चरण सिंह—जब १९५२ में मालगुजारी वसूल करने की स्कीम जारी की गयी, डाइरेक्ट एजेंसी से तो उस वक्त भी हरिजन बहुत कम आये। उस वक्त तजुरबे की जरूरत नहीं थी। यह बात नहीं है कि कोई तजुरबे की शर्त हो गयी इसलिये कम आये क्योंकि साल भर जब तजुरबे की शर्त नहीं थी उस वक्त भी दो, चार ही हरिजन आये थे। अब चूंकि कुछ लोगों को निकालना है, तो जिन्होंने एक फसल काम किया हो उन लोगों को ही रखेंगे। इस बात को कई बार मैं सवालों के जवाब में समझा चुका हूं। अब जो नियुक्तियां हैं वह पब्लिक सरविस कमीशन द्वारा होंगी और हरिजनों के संबंध में हम कुछ और सहूलियत करने की सोच रहे हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आल दि इयर राउन्ड में कितने अमीन, चपरासी, क्लर्क और नायब तहसीलदार रखे गये हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री अध्यक्ष—क्या आपने आल दि इयर राउन्ड कहा ? समझ में नहीं आया।

श्री जोरावर वर्मा—जी हां। दिसम्बर में.....

श्री अध्यक्ष—आप जरा हिन्दी में समझा दीजिये। "साल भर में" आप कह सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—वर्ष भर में जो अमीन, चपरासी, क्लर्क और नायब तहसीलदार लिये गये हैं वह कितने हैं और उनमें हरिजनों की क्या संख्या है ?

श्री चरण सिंह—नोटिस की जरूरत है।

तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद में ओला पड़ने से क्षति एवं राजकीय सहायता

*४८—**श्री खयाली राम** (जिला मुरादाबाद)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें सूचना मिली है कि तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद के उत्तरी भाग के अनेक ग्रामों में ओला पड़ने के कारण रबी की फस्ल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों में कितने प्रतिशत क्षति हुई है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तहसील अमरोहा के ग्रामों में ओला पड़ने से रबी की फसल को जो क्षति पहुंची है वह इस प्रकार है

१५ ग्रामों में २ आने से ६ आने तक, और १०७ ग्रामों में आठ आने और इससे अधिक

*४९—**श्री खयाली राम**—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्रामों में ओला वृष्टि हुई है उन्हें किस-किस प्रकार की राजकीय सहायता देने का विचार है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जिन ग्रामों में ८ आने या इससे अधिक क्षति पहुंची है उनमें मालगुजारी में आवश्यक छूट जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमों के अनुसार दी जायगी।

श्री खयाली राम—क्या माननीय माल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने ग्रामों में आठ आने से अधिक हानि हुई है उनको तकावी देने की कोई व्यवस्था की गयी है या नहीं ?

श्री चरण सिंह—अभी तो छूट दिये जाने के लिये व्यवस्था की जा रही है। रही तकावी की बात। तो जो साधारण नियम है, चाहे फसल नष्ट हुई हो या न हुई हो तकावी मिल ही सकती है।

श्री खयाली राम—क्या माननीय माल मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन क्षेत्रों में आठ आने से अधिक हानि हुई है उसमें आबपाशी में भी कोई छूट देने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चरण सिंह—नहीं। ऐसा कोई विचार अभी नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा के अलावा मुरादाबाद जिले की अन्य तहसीलों में भी कुछ हानि हुई है ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि यह तो एक ही तहसील के बारे में प्रश्न है।

*५०—**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)—[१७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया]

तहसील संडीला, जिला हरदोई में अति वृष्टि तथा बाढ़ से क्षति के कारण लगान में छूट

*५१--श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)---क्या सरकारने अधिक वर्षा के कारण फसल नष्ट होने पर संडीला तहसील, जिला हरदोई में आबपाशी व लगान में किसानों को माफी दी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---तहसील संडीला, जिला हरदोई में अति वृष्टि तथा बाढ़ से खरीफ १३६१ की फसल को हानि पहुंचने के कारण १,१६,९७८ रुपये की मालगुजारी की वसूली अगली फसल तक के लिये स्थगित कर दी गई है । सिंचाई कर अथवा मालगुजारी में कोई छूट नहीं दी गई है ।

श्रीमती लक्ष्मी देवी---क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि इस साल फरवरी के महीने जो बारिस हुई है उससे रबी की फसल भी करीब-करीब नष्ट हो गई है ।

श्री चरण सिंह---अभी ऐसी कोई सूचना इस समय नहीं दी जा सकती । अगर कहीं फसल नष्ट हो गई होगी तो उसके लिये उचित कार्यवाही नियमानुसार की जा रही होगी ।

प्रदेश में सरकारी कृषि विद्यालयों का आय-व्यय

*५२---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकर कृपा करके बतलायेगी कि प्रदेश में सरकारी कृषि विद्यालय कहां-कहां है और उनमें से प्रत्येक पर सरकार का वार्षिक कितना व्यय होता है और प्रत्येक से कितनी आय होती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---एक सरकारी कृषि महाविद्यालय कानपुर में है और तीन कृषि विद्यालय, गोरखपुर बुलन्दशहर और चिरगांव जिला झांसी में है । वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में प्रत्येक पर निम्नलिखित व्यय हुआ और निम्नलिखित आय हुई :---

	व्यय	आय
	रु०	रु०
कृषि महाविद्यालय, कानपुर	६,३१,६५३	१,७६,४९२
कृषि विद्यालय, गोरखपुर	८७,२८०	१०,६५९
कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर	७९,८६१	२९,६८०
कृषि विद्यालय, चिरगांव	५२,१३३	३,७८३

श्री रामचन्द्र विकल---क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कृषि विद्यालयों के अन्तर्गत चलने वाले कृषि फार्म्स का आय-व्यय भी इसमें सम्मिलित है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जी हां ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कृषि फार्म्स का आय-व्यय अलग-अलग क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कृषि फार्म्स पर सरकार का अधिक खर्च होने पर भी उनकी पैदावार की औसत किसानों की औसत पैदावार से कम बैठी है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—ऐसा नहीं है कि इन फार्म्स पर साधारण किसानों की औसत पैदावार से कम पैदावार होती है लेकिन ये जो कृषि फार्म्स हैं, ये कोई खेती के लिये नहीं होते बल्कि इन पर लड़कों को सिखाया जाता है और सिखाने में जो प्रयोग होते हैं उन पर काफी खर्च होता है और जब लड़के नये-नये प्रयोग सीखते हैं तो वे कुछ दिनों तक अधिक पैदावार कर भी नहीं पाते लेकिन साधारण तौर पर इन फार्म्स पर नुकसान नहीं होता ।

हरदोई जिले में सरकारी बसें चलाने का विचार

*५३—**श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र** (जिला हरदोई)—क्या सरकार हरदोई जिले में सरकारी रोडवेज की गाड़ियां चलाने का विचार रखती है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी हां ।

*५४—**श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र**—यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर हां में है, तो किन-किन मार्गों पर और कब तक सरकारी रोडवेज की गाड़ियां चलेंगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—अभी यह मामला विचाराधीन है ।

शहरी क्षेत्रों में शिकमी किसानों की बेदखली

*५५—**श्री देवमूर्ति राम** (जिला बनारस)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कई शहरी क्षेत्रों में शिकमी किसानों की बेदखली हो रही है ?

श्री चरण सिंह—सरकार को अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

*५६—**श्री देवमूर्ति राम**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह निकट भविष्य में ऐसे शिकमी किसानों की बेदखलियों को रोकने के लिये कोई आदेश जारी करने वाली है ?

श्री चरण सिंह—सरकार इस संबंध में पहले से ही आवश्यक आदेश जारी कर चुकी है ।

*५७—**श्री रामराज शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)—[२४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया ।]

जिला हरदोई में लगान वसूली के लिये कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति और उनमें परिगणित जातियों के कार्यकर्त्ताओं की संख्या

*५८—**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में दिसम्बर, सन् ५३ से लगान वसूलयाबी में कितने नायब तहसीलदार, कितने क्लर्क, कितने कुर्क अमीन तथा कितने चपरासी रक्खे गये हैं ?

श्री चरण सिंह—जिला हरदोई में दिसम्बर सन् १९५३ में मालगुजारी की वसूली के लिये निम्नलिखित कार्यकर्त्ता रक्खे गये :—

नायब तहसीलदार	..	..	१३
क्लर्क	..	..	३०
कुर्क अमीन	..	..	१४८
चपरासी	..	..	२९८

*५९—**श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि**—नियुक्त की हुई तादाद में प्रत्येक वर्ग में कितने अछूत रक्खे गये हैं ?

श्री चरण सिंह—नियुक्त किये गये उपरोक्त कार्यकर्त्ताओं में से परिगणित जाति के कार्यकर्त्ताओं की संख्या निम्नलिखित है :—

नायब तहसीलदार	..	..	२
क्लर्क ..	..	..	५
कुर्क अमीन	..	..	२४
चपरासी	..	..	५०

जौनपुर जिले में टिड्डियों द्वारा फसल को हानि तथा लगान में छूट

*६०—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—(अनुपस्थित) क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जौनपुर जिले के कितने और किन किन ग्रामों में पतंगों (टिड्डी) द्वारा खरीफ की फस्ल का नुकसान हुआ है ?

श्री चरण सिंह—जौनपुर जिले में टिड्डियों द्वारा फसल को कोई हानि नहीं हुई परन्तु पतंगों (Grass-hoppers) द्वारा ३१८ ग्रामों में खरीफ की फसल को नुकसान हुआ। इन गांवों की सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

*६१—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—(अनुपस्थित) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि जिन गांवों में पतंगों (टिड्डी) द्वारा नुकसान हुआ है उन ग्रामों में खरीफ के फसल के लगान में छूट दी जाने वाली है।

श्री चरण सिंह—जी हां, इस विषय में जिलाधीश के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

*६२—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—(अनुपस्थित) क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने ग्रामों में पतंगों को नष्ट करने की व्यवस्था की गई है ?

श्री चरण सिंह—जौनपुर जिले के २७ ग्रामों में पतंगों के नष्ट करने का कार्य किया गया और कुल मिलाकर ६५९.३२ एकड़ खरीफ की फसलों पर जहरीली दवाइयां छिड़क कर पतंगों को नष्ट किया गया।

रुद्रपुर से रामपुर जाने के लिये रोडवेज के बस स्टेशन एवं कंडक्टर से टिकट लेने पर किराये में अन्तर

*६३—**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपुर)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले कई मासों से रोडवेज ने रुद्रपुर से रामपुर एक ही बस से जाने वाले यात्रियों से रुद्रपुर के बस स्टेशन से टिकट लेने तथा बस के साथ जाने वाले कन्डक्टर से टिकट लेने में भिन्न भिन्न किराया लिया है ?

*६४—यदि हां, तो बस की दोनों श्रेणियों के किरायों में उपर्युक्त प्रकार का क्या अन्तर था और वह किस दिनांक से किस दिनांक तक रहा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन प्रश्नों के संबंध में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा

राज्य में लोकल रेट की वसूली

*६५—**श्री सियाराम चौधरी** (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो लोकल रेट पहिले जमींदारों से वसूल होता था वह अब किसानों से वसूला जाता है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, जमींदारों से जो लोकल रेट वसूल किया जाता था वह किसानों से वसूल नहीं किया जाता। किसानों से वह रकम वसूल की जाती है जिसको जमींदारी उन्मूलन से पहले अब जमींदारों के अदा करने के जिम्मेदार थे।

आगरा जिले की तहसीलों में पाले से फसल को हानि

*६६—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस साल आगरा जिले की प्रत्येक तहसील में पाले से फसल को कितना नुकसान हुआ है।

श्री चरण सिंह—सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६७ पर)

डुमरियागंज, जिला बस्ती में बस सर्विस चालू करने का विचार

*६७—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती के उत्तर राप्ती भाग में अब तक बस सरविस चालू नहीं हुई है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—तहसील डोमरियागंज जिला बस्ती के उत्तर राप्ती भाग में डुमरियागंज से बढ़नी तक दो प्राइवेट लारियां चलती हैं इसके अतिरिक्त मेंहदावल से फरेंदा तक के लिये जिसका कुछ भाग राप्ती नदी के ऊपर में पड़ता है दो अस्थायी परमिट दिये गये हैं।

*६८—**श्री रामलखन मिश्र** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उत्तर राप्ती तहसील डुमरियागंज में शाहपुरी से बढ़नी स्टेशन तक बस सरविस चालू करने पर विचार कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यहां पर कोई बस सरविस चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला गोंडा, तहसील तरबगंज में अधिक वर्षा से फसलों को हानि एवं पीड़ित जनता को सहायता

*६९—**श्री उम्मेद सिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि जिला गोंडा के अन्तर्गत तरबगंज तहसील में सूखा एवं अधिक वर्षा के कारण गत वर्ष की रबी व खरीफ की फसलें करीब करीब नष्ट हो गई थीं और इस क्षेत्र की जनता को अन्न व चारे के अभाव के कारण इस समय महान कष्ट है?

श्री चरण सिंह—जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में गत कृषि वर्ष (१३६० फसली) की रबी की फसल साधारणतः अच्छी थी केवल ६ गांवों की फसल ओला पड़ने से नष्ट हो गई थी। उसके बाद, १३६१ फसली खरीफ में २०५ गांवों में फसल को बाढ़ के द्वारा रुपये में ८ आना या उससे अधिक की हानि पहुंची, परन्तु इस समय अन्न और चारे का कोई कष्ट नहीं है।

*७०—**श्री उम्मेद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या इसके बारे में मुख्य मंत्री का ध्यान उनके गोंडा प्रदर्शिनी के उद्घाटन के समय विशेष तौर से आकर्षित कराया गया था?

श्री चरण सिंह—इस बारे में कहा गया था।

*७१—**श्री उम्मेद सिंह** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार ने इस क्षेत्र की पीड़ित जनता के सहायतार्थ क्या आदेश निकाला है?

श्री चरण सिंह—जिन क्षेत्रों में सहायता की आवश्यकता थी वहां मालगुजारी में छूट, तकावी, सस्ते गल्ले की दूकानों से सस्ते अनाज की पूर्ति आदि के रूप में उचित कार्यवाही पूर्व ही की जा चुकी है।

भुइली, जिला मिर्जापुर में बाढ़ से फसलों को हानि तथा बाढ़-पीड़ितों को सहायता

*७२--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि गत वर्षाकाल की बाढ़ से जिला मिर्जापुर के चुनार तहसील के अन्तर्गत भुइली परगना में खरीफ की फसल को क्षति हुई थी? यदि हां, तो सरकार ने वहां बाढ़-पीड़ित कृषकों की क्या सहायता की?

श्री चरण सिंह--जी हां, परन्तु यह हानि परगना भुइली के केवल ६६ गांवों में हुई। प्रभावित गांवों में बीज खरीदने के लिये १५,००० रु० की तकावी वितरित की गई तथा मालगुजारी में नियमानुसार छूट देने की कार्यवाही की जा रही है।

बस्ती जिले में जमींदारों के खातेदारों को मुआवजा

*७३--श्री धनुषधारी पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में जमींदारों के कितने खाते हैं और उनमें से कितने खातेदारों को मुआवजा दिया गया और कितने को नहीं और क्यों।

श्री चरण सिंह--बस्ती जिले में जमींदारों के ३,९४,२३६ खाते हैं, इनमें से केवल १,३३,७१३ खातेदारों की प्रतिकर निर्धारण तालिका अन्तिम (Final) हुई हैं। १८,६४८ खातेदारों को प्रतिकर लेने के लिये नोटिसें दी गई थीं। इनमें से ७ अप्रैल तक केवल ४,८५४ खातेदारों ने मुआवजा लिया। बाकी खातेदारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। इसका कारण यह है कि सब खातों की प्रतिकर तालिका अभी तक अन्तिम नहीं हुई है। ५० रुपये से अधिक मुआवजा पाने वालों को बान्ड्स मिलने का प्रबन्ध अप्रैल के शुरू से ही हुआ है और ५० रुपये से कम मुआवजा पाने वाले सूचना पाने पर, मुआवजे के कम होने के नाते [तथा अपने कृषि-कार्य में व्यस्त होने के कारण मुआवजा लेने बहुत कम संख्या में आते हैं।

कुमायूं डिवीजन की बंजर तथा आबाद भूमि

*७४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमाऊं डिवीजन की कुल भूमि में से जिलेवार कितनी जमीन बंजर है, व कितनी आबाद है?

श्री चरण सिंह--सूचना नीचे दी हुई है :--

जिला		बंजर भूमि एकड़	कृषक क्षेत्र एकड़
अल्मोड़ा	..	५,०२,१६४	४,०२,०९९
गढ़वाल	..	५,३१,९२३	७,५९,१८१
टेहरी गढ़वाल	..	७,६४,६५६	१,८८,११६
नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र	..	१५,९२८	५८,६६५
नैनीताल मैदानी क्षेत्र	..	४८,१८५	२,५४,४५६

बांसी तहसील, जिला बस्ती के अन्तर्गत अदालती पंचायत धरमौली में गांव समाजों को जायदाद

*७५--श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि तहसील बांसी, जिला बस्ती के अन्तर्गत अदालती पंचायत धरमौली में जो पांच ग्राम सभायें हैं उनमें से प्रत्येक गांव समाज को कितनी-कितनी बंजर आदि जमीन दीगर जायदाद १ जुलाई, सन् १९५२ ई० को मिली?

श्री चरणसिंह—१ जुलाई, १९५२ को गांव सभाओं में कोई जायदाद निहित नहीं हुई बल्कि उसके पश्चात् भिन्न-भिन्न तिथियों को निहित हुई जिसका ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६८ पर)

*६७—**श्री मथुरा प्रसाद पांडेय**—क्या यह सही है कि उक्त अदालती पंचायत के ग्राम सभाओं के भूतपूर्व जमींदारों ने उन गांवों की परती बंजर भूमि व बंजर के पेड़ों, पोखरों, तालों, आबादी आदि पर से अब तक कब्जा नहीं छोड़ा है और जमींदारी टूटने के बाद से अब तक उनसे जो आमदनी हुई है वह गांव समाज को नहीं मिली?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत अभी तक सरकार को नहीं मिली है।

जमींदारी विनाश के बाद प्रदेश में माल गुजारी तथा लगान में वृद्धि

*७७—**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कुल प्रान्त में जमींदारी खात्मे के बाद मालगुजारी तथा लगान कितना बढ़ गया?

श्री चरण सिंह—जमींदारी विनाश के बाद प्रदेश की मालगुजारी में ११,८६,-३२,००० रु० की वृद्धि हुई।

टोंस की बाढ़ एवं अति वृष्टि से रसड़ा तहसील (बलिया) में हानि और उसमें हरिजनों की क्षति

*७८—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९५३ की टोन्स की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जिला बलिया के अन्तर्गत रसड़ा तहसील में कितने मकान पूर्णतः और कितने अंशतः गिर गये हैं?

श्री चरणसिंह—सन् १९५३ में टोंस की बाढ़ एवं अतिवृष्टि से रसड़ा तहसील में १४८९ मकान पूर्णतः तथा ५,७१२ मकान अंशतः गिर गये हैं।

*७९—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इन पूर्णतः एवं अंशतः गिरे हुये मकानों में से कितने हरिजनों के हैं?

श्री चरणसिंह—उपर्युक्त मकानों में से ३२१ पूर्णतः तथा १३६ अंशतः गिरे हुए मकान हरिजनों के हैं।

इस सम्बन्ध में सरकार यह बता देना चाहती है कि प्राकृतिक विपत्तियों के अवसर पर जो सहायता दी जाती है, उसमें जाति अथवा सम्प्रदाय का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अतः जाति अथवा सम्प्रदाय के अनुसार हानि अथवा सहायता के आंकड़े न तो रखे जाते हैं और न ऐसे आंकड़े एकत्र करना उचित ही प्रतीत होता है।

गाजीपुर की तहसील मुहम्मदाबाद में लेखपालों की नियुक्ति

*८०—**श्री शिवपूजन राय** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजीपुर जिले की तहसील मुहम्मदबाद में कितने पटवारी लेखपाल बनाये गये और कितने नये लेखपाल रखे गये?

श्री चरणसिंह—गाजीपुर जिले की तहसील मुहम्मदाबाद में २० पटवारी लेखपाल बनाये गये तथा ७८ नये रखे गये।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--[१० मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

२--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--[वापस लिया गया।]

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन् जो नियम ७ है उसके अनुसार मैं एक मोशन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष--अभी मुझे कुछ सूचना देनी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह जो कामरोको प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में ही यह मेरा प्रस्ताव है कि उसको नियम ७ के अनुसार ससपेन्ड कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अभी मुझे सूचना देनी है तब आप इसको कर सकते हैं।

(कुछ ठहर कर)

मेरे पास जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर ने यह सूचना तार द्वारा भेजी है कि कल श्री राजनारायण सिंह, सदस्य विधान सभा को निर्वाचन में कथित अनियमित व्यवहार के कारण रिप्रिजेन्टेशन आफ प्यूपुल्स ऐक्ट की धारा १३१ के अन्तर्गत, पुलिस के एक सिपाही को उसके कर्तव्यपालन से रोकने के लिये चोट पहुंचाने पर भारत दंड विधान की धारा ३३२ के अन्तर्गत तथा उन्हें काग्निजिबिल अपराध करने से रोकने के लिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १५१ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। विवरण पत्र द्वारा भेजा जा रहा है।

जो आज उनका पत्र आया है वह इस प्रकार है :--

FROM

THE DISTRICT MAGISTRATE,
KANPUR

TO

THE SPEAKER,
U. P. LEGISLATIVE ASSEMBLY,
LUCKNOW.

No. 541-B/54, Dated 25-4-1954

SIR,

With reference to my Express telegram dated the 25th April, 1954, communicating to you the arrest of Sri Raj Narain Singh, M. L. A. I have the honour to say that it is alleged that Sri Raj Narain Singh, M. L. A. was responsible for several incidents in the forenoon at several polling stations, which would have led to a serious breach of the peace if the police had not intervened in time and restored order. At about 11-45 A. M. Sri Raj Narain Singh went to a polling Station near Darshanpurwa after the alleged incident in which the Socialists beat about four congress workers and some socialists had to be arrested. Sri Raj Narain Singh and his followers acted in a disorderly manner at the Polling Station. Two constables told them to desist

[श्री अध्यक्ष]

from doing so. It is alleged Sri Raj Narain Singh and others beat the two constables with canes in order to deter them from discharging their duty. Sri Raj Narain Singh and his companions were eventually arresgted and taen to the Police Station under section 131 Representation of the People Act 332 I. P. C. and 151 Cr. P. C. A case under section 188 I. P. C. has also been registered against him as he was carrying cane in defiance of the prohibitory orders under section 144 Cr. P. C. He has been sent to the District Jail, Kanpur, where he has been accorded superior class treatment.

Yours faithfully,
(Sd.) D. S. RATHOR,
District Magistrate,

इसका अर्थ यह है कि जिन दफाओं के अन्तर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है वह इस प्रकार हैं। १३१ दफा रिप्रिजेन्टेशन आफ प्यूपुल्स ऐक्ट, ३३२ इंडियन पैनल कोड, १५१ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और उसके बाद उनके ऊपर एक केस १८८ दफा इंडियन पैनाल कोड के अन्तर्गत चलाया गया है। उनको कानपुर की जेल में रखा गया है और सुपीरियर क्लास का व्यवहार उनके साथ होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, कानपुर के जिला मेजिस्ट्रेट ने जो गलत खबर इस सदन को भेजी है...

श्री अध्यक्ष---अभी इस वक्त यह प्रस्ताव नहीं हो सकता और न उस पर बहस हो सकती है। मेरा काम सूचना देना था वह मैंने दे दी। उस सम्बन्ध में मेरे पास काम रोकने के प्रस्ताव मौजूद हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसलिये कहीं देर न हो जाय और कल को यह न कहा जाय कि इस वक्त यह प्रश्न नहीं आ सकता, इसलिये मैंने इन दो आम बातों को इस समय कहा। मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर ने जो यह गलत खबर इस सदन को दी है इसके लिये मैं जिला मैजिस्ट्रेट कानपुर के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

कानपुर से लोक सभा के उपचुनाव के समय पुलिस के व्यवहार के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---कामरेडों प्रस्ताव इस प्रकार है :---

"कानपुर में होने वाले २५ अप्रैल को कानपुर केन्द्रीय चुनाव क्षेत्र से लोक सभा के उपचुनाव के सम्बन्ध में सार्वजनिक महत्व के आवश्यक मामले---उदाहरणार्थ, कानपुर की पुलिस का कार्य, जिसमें बिना किसी लिहाज के लाठी चार्ज, अधिक संख्या में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव कैम्पों को कई स्थानों पर गैर-कानूनी तौर पर हटाया जाना, जिससे कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव असम्भव हो गया और जो कि प्रजातंत्र की जड़ पर ही कुठाराघात करता है, पर वादविवाद करने के लिये विधान सभा आज का अपना कार्य स्थगित करती है।"

(श्री नारायणदत्त तिवारी से) अब आप इसके सम्बन्ध में क्या कहते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम १७३ के उपनियम (७) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार आप किसी नियम को सस्पेंड

कर सकते हैं। नियम ७० जो कि ऐडजर्नमेंट मोशन के बारे में है, उसमें लिखा हुआ है कि एक डेफिनिट बात होनी चाहिये लेकिन जो मोशन रामनारायण जी त्रिपाठी ने रक्खा है उसमें दो तीन बातें आ गयी हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं और आज ही उठनी चाहिये। इसलिये इस बात की आवश्यकता को देखते हुए वहां की पुलिस के कार्यकर्ताओं ने लाठी प्रहार किया है....।

श्री अध्यक्ष—आप बहस न करें। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप २२१ वें नियम के अनुसार ७०वें नियम को स्थगित कराना चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, ७० वें नियम के अनुसार एडजर्नमेंट मोशन को अलाऊ कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता। कामरोको प्रस्ताव के लिये पहले नियम यह है कि मैं उसको मंजूर कर लूं। उसके लिये नियम ६८ है। पहले जब मैं यह अनुमति दूं कि यह इन आर्डर है तभी उस नियम को स्थगित करने का प्रश्न उठ सकता है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि एक तो यह रोजाना के काम के बारे में है, दूसरा इसके बारे में इलेक्शन पिटीशन भी हो सकती है। अगर कोई चीज अवैध हो गई है, तो रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के मातहत कार्यवाही की जा सकती है। इन विषयों में जो कानूनी कार्यवाही अदालत में होगी उस पर भी इसका असर पड़ सकता है तथा इलेक्शन पिटीशन की कार्यवाही पर भी सदन के विवाद का असर पड़ सकता है, इसलिये मैं उसके पेश होने की इजाजत नहीं देता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, जो ज्यादती इस चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पर हुई, सरकार की पुलिस ने जिस प्रकार हमें अपने अधिकारों से वंचित रक्खा उसके बारे में हमें आपसे आशा थी कि सुरक्षा मिलेगी, लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने से वह भी समाप्त हो गयी। अतः उसके विरोधस्वरूप हम इस सदन का त्याग करते हैं।

(प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन से बाहर चले गये।)

उत्तर प्रदेश पंचायत (पदावधि) अनुपूरक विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (पदावधि) (अनुपूरक) विधेयक, १९५४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ४ मार्च, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ मार्च, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति २३ मार्च, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १९५४ का छठां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेंपोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—माननीय वित्त मंत्री जी को एक विधेयक पुरःस्थापित करना है, लेकिन इस विधेयक की प्रतियां अभी मेरे पास आयी हैं, वे बंट नहीं पायी हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि थोड़े समय के बाद वे उसको पेश कर देंगे। मैं समझता हूं कि वे दोपहर के बाद उसको पेश कर दें।

*रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जिस माननीय सदस्य ने इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीजन्स को पढ़ा होगा उनको मालूम हो गया होगा कि किस गरज से यह एक दफा का विधेयक पेश किया जा रहा है। रियासत रामपुर में कब्ल इसके कि वह उत्तर प्रदेश में शामिल हो, दो कानून उस वक्त वहां पर लागू थे। एक का नाम था कानून इन्दराज निकाह अहले इस्लाम और दूसरे का नाम था कानून इन्दराज विवाह अहले हिनूद। एक सन् १९४१ का था और एक सन् १९४५ का था। इस वजह से वह कानून वहां पर था कि उसमें लिखा गया है कि जो शादी हो उसका इन्दराज कराना या रजिस्ट्री कराना जरूरी है। जो वारिस हो, शौहर का बाप हो या दूसरा कोई वारिस हो उसका यह फर्ज है कि वह रियासत रामपुर में शादी की रजिस्ट्री करावे या उसका इन्दराज करावे। उसके साथ ही साथ यह भी है कि अगर इन्दराज न किया जाय तो कानून इन्दराज विवाह अहले हिनूद में उसके लिये ५० रु० जुर्माना है और कानून इन्दराज निकाह अहले इस्लाम में खिलाफवर्जी करने पर १०० रु० जुर्माना है। इस तरह का कानून वहां पर बना हुआ है। जाहिर है कि किसी ऐसे कानून का, जब कि रामपुर रियासत उत्तर प्रदेश में शामिल है, बाकी रखना कोई माने नहीं होता है। अगर इस तरह का कोई कानून बाकी रखा जाय तो उसके मानी यह होंगे कि वहां पर अगर कोई मुहकमा कायम किया जाय और जो रजिस्ट्रेशन हो उसके लिये अलग आफिसर मुकर्रर हों। जब कि ऐसा कानून दूसरे सूबों में और जगह नहीं है तो यह किसी तरह से भी मुनासिब चीज नहीं होगी। चुनांचे इन सब बातों पर गौर करके यह तय पाया कि इस कानून को रियासत रामपुर से मंसूख कर दिया जाय और आयन्दा अगर किसी जमाने में, किसी वक्त यहां के सदस्यों को या जनता को यह महसूस हो कि इस किस्म का कानून होना चाहिये तो पूरे सूबे के लिये ऐसा कानून बना सकेंगे, लेकिन सरेदस्त एक मखसूस जिले में इस किस्म का कानून बाकी रखना कोई माने नहीं रखता है। यह कानून जो आपके सामने पेश है मुझे यकीन है कि माननीय सदस्यों को फौरन मालूम हो जायगा कि इसमें कोई खास उसूली बात नहीं है, इसमें कोई इस किस्म की बात नहीं है जो नामुनासिब समझी जाय। बल्कि यह एक निहायत मौजूं और मुनासिब बात होगी और आप इसे मंजूर करेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दु शाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय न्याय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना आवश्यक भी नहीं है किन्तु इससे एक प्रश्न उठता है जिसकी ओर मैं माननीय न्याय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस विधेयक द्वारा जैसा कि रामपुर रियासत के इस कानून को खत्म किया जा रहा है या उसको बन्द किया जा रहा है उसी तरह के कई कानून भूत पूर्व टेहरी-गढ़वाल, रामपुर व बनारस की रियासतों में भी मौजूद हैं जिनका इस उत्तर प्रदेश के कानूनों के साथ एडाप्ट करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि हमारे माननीय न्याय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें कि टेहरी-गढ़वाल जिले में कई कानून ऐसे प्रचलित हैं, लीगली तौर पर नहीं, तो कस्टमरी तौर पर अब भी प्रचलित हैं जिनमें कई प्रकार की लेकुना है।

---

*१९ अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

जिनको यदि कानूनी दृष्टि से देखा जाय तो वह इस प्रदेश के कानून से कन्ट्रेडिक्टरी है। माननीय मंत्री महोदय ने जो एक शब्द कहा उसके विषय में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय न्याय मंत्री जी ने अन्त में अपने विचार प्रकट किये कि यह एक असंगत सी बात होगी कि एक जिले में एक कानून पाया जाय और वह दूसरे जिलों में जो प्रदेश के हैं न पाया जाय। मैं समझता हूं कि अगर उनका ऐसा ख्याल है तो यह एक गलत विचाराधारा है। जहां ५१ जिलों की बात है और जहां यह प्रदेश इतना फैला हुआ है वहां यह भी स्वाभाविक बात होगी कि प्रदेश के एक किनारे में एक विशेष परिस्थिति पाई जाय और दूसरे किनारे पर दूसरी परिस्थिति पाई जाय और संभव है कि दूसरे कोने में वह परिस्थिति न हो इसलिये पूरे सूबे में कानून का एक यूनीफार्म पैटर्न कायम करना एक गलत भावना होगी और न शायद न्याय मंत्री जी का ही ऐसा विचार होगा और शायद मैं ही गलत समझा होऊं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री नागेश्वर द्विवेदी से) आप का संशोधन अवैध है क्योंकि यह तो निरस्त करता है। जब खंड २ के अनुसार "हुनूद" शब्द ही खत्म होने वाला है तो उसमें परिवर्तन करने से ही क्या लाभ होगा। इसलिये यह अवैध मालूम होता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब अध्यक्ष महोदय, रामपुर में निकाह और विवाह के मुताल्लिक यह एक कानून चला आता था, जिसके एतबार से वहां इस ताल्लुक को रजिस्टर कराना पड़ता था और वहां एक सबूत रहता था। मैं आनरबिल मिनिस्टर आफ जस्टिस की इस राय से मुत्तफ़िक़ हूं कि तमाम सूबे में यकसां उसूल और अंदाज होना चाहिये लेकिन बदकिस्मती से हम अभी इस में कामयाब नहीं हुये हैं, तमाम सूबे में बाकायदगी के साथ इंदराज निकाह और इंदराज विवाह करा सकें। बजाय इसके कि इसको तंसीख करने का या खत्म करने का कानून लाया जाता मेरी तो ख्वाहिश यह थी कि वजीर इंसाफ ऐसा कानून हाउस में पेश करते कि यह इंदराज कानून पूरे सूबे में बढ़कर लागू हो जाता। इस वक्त इसको खत्म करने से यह दिक्कत महसूस हो रही है कि अब तक अकसर ऐसे मामलात आते थे कि जिन में निकाह या शादी होने का सबूत मश्किल से मिलता था। इससे यह फायदा था कि इस किस्म का सबूत पहुंचाने में जरा बराबर दिक्कत महसूस नहीं होती थी और आसानी से सबूत दे सकते थे। बेहतर हो कि वजीर साहब इसको अभी न लायें और एक तफसीली बिल पूरे यू० पी० के लिये लावें वरना जो दिक्कत रामपुर में खत्म हो चुकी थी वह वहां और बाहर सब में पड़ने लगेगी। इसलिये ऐसा बिल लाया जाता तो इसी की तंसीख के साथ पूरे सूबे पर हावी होता। इसके साथ जब वहां यह बिल पेश हो रहा है और इस तरमीम के साथ पुराने कानून को खत्म किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि वजीर इंसाफ इस बात पर गौर फरमायेंगे कि क्या सूरत हो जो ज्यादा से ज्यादा इसके सबूत के बहम पहुंचाने में आसानी पैदा कर सकें। आज इस मौके पर मैं उनका ध्यान इस ओर रागिब करना चाहता हूं और उनकी तवज्जह इस ओर लाना चाहता हूं कि अगर इसके खत्म करने में आपको इसरार है कि चूंकि एक छोटी जगह पर एक चीज मौजूद है और बड़ी जगह पर नहीं है इसलिये उस चीज को खत्म होना चाहिये, जाती तौर पर मैं उससे मुत्तफिक न हो सकूं और न ही मुत्तफिक हूं, आज जबकि हजारों दिक्कतें मौजूद हैं। हमारे लिये दिक्कत होती है क्योंकि गरीब सूबे के रहने वालों का हजारों रुपया मामूली मुकदमें में खर्च करके भी कागजी सबूत नहीं मिलता जिसका नतीजा यह होता है कि झूठी गवाही हमको देनी पड़ती है। ऐसी सूरत में अगर एक आसानी मौजूद थी उसे वजीर इंसाफ रोकें और उसे खत्म न करें तो उनका बड़ा अहसान होगा। अगर वह खत्म ही करना चाहते हैं तो कमसे कम इतनी अर्ज मेरी ध्यान में रक्खें कि जहां जहां हमने दरख्वास्तें दी हैं, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, इस दिक्कत से बचने के लिये कि रजिस्टर हो जिससे यह मालूम हो सके कि वाकई निकाह हुआ है या नहीं हुआ है, उसपर गौर फरमायें। मजहबी तौर पर हमारे यहां निकाह पढ़ाने वाले काजी मुकर्रर हैं और हिन्दुओं में भी ऐसे मुकर्रर होंगे। अगर हम हिन्दू मुसलमान हर तबके के लोग दरख्वास्त करें कि रजिस्टर नहीं होता है निकाह, इसलिये हमें बड़ी दिक्कत

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

होती है। इसलिये कम से कम एक रजिस्टर पर इन्दराज हो सके तो मैं जवाबवाला आपके जरिये यह अर्ज करूंगा कि वजीर साहब उसे कबूल फरमावें। हमें इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि यह आसानी से पास हो जाय। लेकिन इसके पास होने से जो दिक्कतें आयेंगी उनकी तरफ तवज्जह दिलाता हूं।

दूसरा वादा हम यह चाहते हैं कि कुल्लियतन सूबे के अन्दर इस दिक्कत को रफा करने के लिये कौन से कड़ी कदम उठाये गये। हम ऐसा वादा चाहते हैं जो वजीर इंसाफ साहब को पाबन्द कर दे कि महीने दो महीने या आइन्दा नशिस्त जो होने वाली है उसमें एक छोटा सा बिल ले आयें जिसमें इन्दराज का हल्के से हलका कोई ऐसा वसूल रख दें जिसमें निकाह या विवाह जो हो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाये और वह इंदराज अदालत में काफी समझा जाये। मैं इस मौके पर बतलाऊं कि रामपुर स्टेट ने इस दिक्कत को हल कर लिया था, लेकिन आज मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती जिस की वजह से वजीरे इंसाफ साहब इसकी तनसीख पर इसरार कर रहे हैं। अगर वह इजाजत दें तो मशविरा भी हो जाये। और हम एक प्राइवेट बिल भी ले आयें जिससे काजी की तकर्रुरी भी हो सकें और निकाह पढ़ाने वाले को नामजद भी कर सकें। इसमें गवर्नमेंट कोई मदाखलत न करे। इसके लिये हम तैयार हैं कि जल्द से जल्द वह ऐवान के सामने ऐसा बिल लावें और इसी साल के अन्दर वह ऐसा बिल इस ऐवान के सामने ला सकेंगे। अब इस वक्त इस बिल को इस तरमीम पर गौर करने से अगर वह इस बिल को वापिस ले लें और कुछ दिनों के बाद हमको मौका दें कि हम एक नये अन्दाज से यहां बिल लावें तो उससे हमारे यहां की रहने वाली कई करोड़ की आबादी, पूरी कौम की कौम इसमें हिन्दू मुसलिम सिक्ख ईसाई मौजूद हैं, सभी आप के शुक्रगुजार होंगे।

मैं फिर दुबारा अर्ज करना चाहता हूं कि रामपुर जिले के अन्दर जो आजतक रस्म रिवाज जारी हैं उनमें बड़ी दिक्कत हो जायेगी और जो इन्दराज करा चुके हैं उनकी क्या हैसियत बाकी रहेगी। इसलिये मेरी अर्ज है कि रामपुर के रहने वालों की दिक्कतों पर वजीर साहब गौर फरमा लें और इसके बाद जैसा आपका मंशा हो वैसा करें। आखिर में मैं यह अर्ज करके बैठ जाऊंगा कि वजीर साहब अगर इसी पर इसरार करें तो कम से कम इस हाउस में हमसे एक जाब्ते का वादा तो कर लें। हम दरख्वास्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जायें। हजारों आदमियों ने कानपुर में दरख्वास्तें दीं और इलाहाबाद से दरख्वास्तें आने वाली हैं कि हम काजी आदमी को अपने शहर में निकाह पढ़ाने के लिये मुकर्रर करना चाहते हैं आप उसको नामजद करें इतना आप वादा कर लें तो किसी तौर पर हम जल्द से जल्द दूसरे बिल को इस हाउस के सामने लायेंगे। अगर गवर्नमेंट ही ऐसा बिल ले आये तो उसके पास होने में बड़ी आसानी पड़ेगी। अगर सैयद अली जहीर साहब ऐसा कोई बिल इस हाउस के सामने लाने वाले हों तो हम लोग उनको मुबारकबाद देंगे और खुश होंगे और एक बड़ी उलझन में जो हम लोग पड़ गये हैं उससे बच सकेंगे। मैं एतराज की नियत से कुछ नहीं कह रहा हूं बल्कि बड़े अदब के साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा अदब हो सकता है, गुजारिश करता हूं कि वह अपने जवाब में नहीं न कह देंगे जैसे कि हम लोगों को जवाब मिलने की आदत हो जाती है, बल्कि अगर हां के साथ जवाब फरमा देंगे तो हमें इतमीनान हो जायेगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय शाहिद फाखरी साहब ने अभी इस विधेयक के संबंध में अपने विचार प्रकट किये कि इस विधेयक के पास होने से रामपुर के रहने वालों को जो एक सुविधा हासिल थी वह जाती रहेगी, यह ठीक है कि एक रिवाजी सुविधा जो वहां के लोगों को हासिल थी उसके जाने से लोगों को जहनी और अमली तकलीफ जरूर कुछ होगी। लेकिन विवाहों के संबंध में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १९४१ और हिन्दू रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, सन् १९४५ रामपुर में जो लागू थे उनके संबंध में यह समझने के बाद कि किन हालतों में यह दोनों कानून बनाये गये थे, सदन के लिये इस प्रश्न पर विचार करना

ठीक होगा। आज जब कि सेक्यूलर सिद्धांत पर हमारी शासन प्रणाली चल रही है तब मुनासिब यही है कि सारे सूबे के लिये एक से नियम हों। मुस्लिम निकाहों के संबंध में जो कानून सन् ४१ का है वह उस वक्त बना था जब कि तलाक वगैरा के बहुत से मुकदमे मुसलमानों के आया करते थे और उनमें यह साबित करने में कठिनाई होती थी कि शादी हुई या नहीं हुई। इसी तरह सन् ४५ में एक हिन्दू शादी के सिलसिले में ऐसा केस अदालत में आया जिसमें लड़की वालों ने लड़के से संबंध तोड़ लिया था, जिसकी कि कोई खास वजह थी। उसके बाद मुकदमा अदालत में गया और वहां पंडितों, बारातियों और दूसरे लोगों की गवाहियां होने के बाद भी यह फैसला नहीं हो सका कि उन दोनों का विवाह हुआ था या नहीं। इस पर जो वहां की कौंसिल थी उसने हिन्दुओं के लिये यह कानून बनाया। लेकिन जो मुसलमानों का कानून था वह तो अबतक प्रचलित है और उसपर अमल होता है जबकि हिन्दुओं का जो कानून है, जहां तक मुझे याद है वह एक मरतबा भी अमल में नहीं आया, सिर्फ बन अवश्य गया। आज जबकि हम सेक्युलर प्रणाली का शासन चला रहे हैं, तब स्टेट के किसी भी हिस्से में किसी एक सम्प्रदाय के लिये एक कानून हो और दूसरों के लिये न हो तो यह सेक्युलेरिज्म के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसा कि माननीय न्याय मंत्री जी ने बतलाया इन दोनों कानूनों में अन्तर भी है। जो मुसलमानों की शादियों के संबंध में कानून है उसकी खिलाफवरजी करने वाले पर सौ रुपया जुर्माना है और जो हिन्दू विवाहों के रजिस्ट्रेशन का कानून है उसकी खिलाफवरजी करने वाले पर ५० रुपये का जुर्माना है। यह अन्तर भी आजकल के लिहाज से ठीक नहीं है।

दूसरे माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि अगर इसको अब भी जारी रखा जाय तो इसके लिये एक नया मुहकमा खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। वहां पर जो इसका तरीका है वह यह है कि जब मुस्लिम विवाह होता है तो निकाह पढ़ने वाला दो रुपये या ढाई रुपये फीस की वसूल करते हैं उसी फीस से शहर काजी जो इंचार्ज होता है उसका और निकाह पढ़ाने वाले का और पूरे मुहकमे का काम चलता है, कोई उसके लिये अलग बजट न गवर्नमेंट को बनाना पड़ता था और न आज बनाने की जरूरत है। लेकिन इस बात के होते हुये भी अगर एक कानून जो केवल एक सम्प्रदाय और एक विशेष धर्म से ताल्लुक रखता है चलता रहे तो यह सेक्युलेरिज्म के सिद्धांत के अनुकूल नहीं होगा। इस विचार से माननीय न्याय मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है इसका मैं समर्थन करता हूं और जैसा कि माननीय शाहिद फाखरी जी ने कहा कि अगर कचहरियों की दिक्कतों को बचाने के लिये यहां के तमाम लोगों के लिये चाहे वह किसी धर्म या सम्प्रदाय के हों, विवाहों के अधिकृत रिकार्ड के संबंध में कोई नया कानून लाया जा सके तो जो एक तरीका रामपुर ने जारी किया था उससे सारे सूबे के लोगों को फायदा पहुंच सकता है और यह जनता के लिये सुविधा की बात होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून माननीय न्याय मंत्री जी ने उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। धर्म की बात में हमारी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस बात में हमारे देश में और हमारे विधान में पूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिये सरकार रिलीजस मामलों में जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है। मैं समझता हूं कि न्याय मंत्री जी ने यह बहुत ही उत्तम किया है। आज जहां तहां भी यानी सब जगह सरकार की नुक्ताचीनी होती है कि सरकार हर मामले में दखल देती है। इसलिये सरकार धार्मिक मामलों में जितनी दूर रहे उतना ही उत्तम है।

इंगलैंड में जहां डैमोक्रेटिक ढंग पर गवर्नमेंट चलती है वहां पर गवर्नमेंट वीक है और पब्लिक शक्तिशाली है। लेकिन हमारे यहां बरअक्स पब्लिक कमजोर है और सरकार शक्तिशाली है। इसलिये जनता को चाहिये कि वह डैमोक्रेसी की कीमत को जाने और शक्तिशाली बने और सरकार इस मामले में दखल न दे। जैसे कि सरकार ने पंचायत राज ऐक्ट लागू किया है और पंचायतें बनाई हैं। आज सरकार उनमें दखल नहीं दे रही है, उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं

[श्री शिव नारायण]

कर रही है। आज हम कचहरी में जाने से किसानों को बचाना चाहते हैं क्योंकि आज कल अदालतों में बड़ी परेशानी होती है। एक मामूली खेत का मुकद्दमा चलता है और उसमें किसान परेशान हो जाता है। अगर शादी विवाह भी अदालतों के जरिये होने लगें और हर मामले अदालत में जाने लगें तो किसान बिचारा अदालत से ऊब जायगा और वह उसके बोझ से दब जायगा।

मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पब्लिक को अपनी डेमोक्रेटिक सत्ता को अहसास करने का मौका दिया और रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज का मामला धार्मिक है और इसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिये हर तबके के लोग अपने धर्म के अनुसार करें और न कोई पंडित ही रजिस्टर्ड होता है और हरिजन लोग तो स्वयं विवाह कर लेते हैं किसी पंडित वगैरा को भी नहीं बुलाते हैं। (एक आवाज--ऐसा ब्याह नाजायज होता है।) जायज होता है, नाजायज कहां होता है? यह तो दिल पटे का सौदा है। मुनासिब बात है। धर्म की बात है। अगर इसमें सरकार दखल न दे तो ज्यादा अच्छा है। सरकार ने जो कानून पेश किया है वह ठीक किया है जैसे कि एक कहावत है कि मैजारिटी मस्ट बी ग्रांटेड। यह चीज सूबे में और कहीं नहीं है सिवाय रामपुर में ही है। सरकार ने मुनासिब किया है। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) --अध्यक्ष महोदय, रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज विधेयक जो सदन में प्रस्तुत है उसके संबंध में रामपुर में क्या व्यवस्था है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि श्री शिवनारायण जी ने कहा है कि सरकार को दखल नहीं देना चाहिये, मैं इसको समझ नहीं सका कि इसमें धार्मिक मामला क्या है क्योंकि विवाह शादी तो हर जाति और वर्ग में होती है। आज उनके रजिस्ट्रेशन से कोई नुकसान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सारे जिलों में एक सा कानून होना चाहिये। इसी गरज से आप रामपुर के कानून रद्द करने जा रहे हैं। श्रीमन्, इससे मुझे मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी को पूरे सूबे की जानकारी नहीं है।

हम बतलाते हैं कि हमारे जिले में पुनर्विवाह रजिस्ट्रेशन ऐक्ट है वह लाभदायक है और हमें भय है कि कहीं मंत्री जी इसी तरह से इसको भी खत्म न कर दें। हमने तो माननीय मंत्री जी के पास और सरकार के पास जाकर यह कोशिश की थी कि यह जो ऐक्ट हमारे यहां लागू है उसके अनुसार अभी तक रजिस्ट्रार कायम नहीं किये गये हैं। वह रजिस्ट्रार कायम किये जायं। लेकिन दो साल हो गये हैं वह रजिस्ट्रार कायम नहीं किये गये हैं। नतीजा यह है कि कानून लागू है, लेकिन प्रैक्टिकल शेप में नहीं। तो यह बात कहना कि सारे सूबे में एक परिस्थिति है, एक कानून लागू किया जाय, यह न्यायसंगत नहीं है। इसीलिये हम लोग यह सोच रहे हैं कि सरकार के ध्यान में तमाम जिलों की जानकारी नहीं है। हमारे जिले में डाइवोर्स ऐक्ट भी लागू है और जब डाइवोर्स ऐक्ट लागू रहता है तो स्वाभाविक है और जबकि भारतीय सरकार भी डाइवोर्स ऐक्ट पास करने का विचार कर रही है, तो ऐसी हालत में रिमैरेज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सारे सूबे में एक प्रकार का कानून ऐसा लाया जाय जिसमें जितनी भी मैरिजेज हैं वह रजिस्टर की जायं। हमारे हिन्दू धर्म में हिन्दू संस्कृति के लिहाज से यह हो जाता है कि उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न श्रेणी की लड़की से शादी करता हुआ जायज माना जाता है, लेकिन अगर निम्न श्रेणी वाला उच्च श्रेणी की लड़की से शादी करता है तो हिन्दू ला के मुताबिक नाजायज शादी समझी जाती है। तो इस बात की आवश्यकता है कि, जैसा कि माननीय शिव नारायण जी कहते हैं, अगर जाति पांति को तोड़ना है, अगर इंटरकास्ट मैरेज को लाना है, इस वर्ण व्यवस्था को तोड़ना है तो रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज होना चाहिये ताकि जिस व्यक्ति से भी जो शादी करना चाहे तो वह अपनी शादी का प्रमाण-पत्र पेश करे और इससे सामाजिक बंधनों और सामाजिक रीतियों से जो विवाह जायज और नाजायज माने जाते हैं वह न हो कर सारे उत्तर प्रदेश में एक प्रकार का कानून बनाया जाय, जिसमें रजिस्ट्रेशन आप्शनल कर दिया जाय।

इस बात को मानता हूं कि इसमें पेनल्टी न रखी जाय। अगर कोई रजिस्टर्ड न कराये तो उसके लिये फाइन न हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन विभाग में जो चाहे अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा सके, इसका प्रावीजन होना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रत्येक जिले में जो परिस्थिति है, उनके कस्टम्स और रीति रिवाजों के अनुसार कानून में संशोधन करना चाहिये। और अगर नहीं तो एक व्यापक कानून लाया जाय जिसमें सभी जिलों की परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्था हो और उनका समन्वय हो। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फिर दिलाता हूं कि हमारे यहां जो पुनर्विवाह का रजिस्ट्रेशन ऐक्ट है उसको न तोड़ा जाय, बल्कि जो उसके लिये रजिस्ट्रार कायम नहीं किये गये हैं उनको नियुक्त कर दिया जाय ताकि वहां सुविधा हो जाय।

विवाहों का रजिस्ट्रेशन न होने से कुछ फौजदारी के क्रिमिनल्स मामले किडनेपिंग, एंटिसिंग, दफा ४९४, ४९७, ४९८ के मुकदमे होते हैं, इनमें लीगल मैरेजेज साबित होने पर ही क्रिमिनल को सजा मिल सकती है और उसकी सही एवीडेंस तभी हो सकती है जबकि मैरेजेज रजिस्टर्ड हों। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय इनकी ओर ध्यान अवश्य दें।

श्री सैयद अली जहीर—इस बिल के सिलसिले में दो ही तीन बातें कही गयी हैं, जिसके मुताल्लिक मुझे कुछ इस सदन के सामने अर्ज करना है।

माननीय बालेन्दुशाह ने इस सिलसिले में यह कहा कि यह कानून ही नहीं बल्कि और दो कानून टेहरी-गढ़वाल और बनारस स्टेट के भी हैं जो हमारे कानून के मुताबिक नहीं है और वह अभी तक लागू है। बहरहाल, जहां तक कि ला डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हमको कोई इत्तला इस किस्म के कानून का नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसी इत्तिला देंगे कि किसी और स्टेट में भी इस किस्म के मुख्तलिफ कानून लागू हैं जो सूबे के और कानूनों से मुख्तलिफ है तो हम कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं और कार्यवाही करेंगे। बहरहाल, यह एक ऐसी चीज है जिसका कोई ताल्लुक खास इस मखसूस बिल के साथ नहीं है।

उसके बाद माननीय सदस्य फाखरी साहब ने यह कहा कि यह तो बहुत अच्छा कानून है और बजाय इसके कि इसको रद्द किया जाय ऐसा कानून तो सूबे भर के लिये आना चाहिये। मेरे ख्याल में अगर तमाम सूबे के लिये भी कानून आवेगा तो इसको तो रिपील करना ही जरूरी होगा तो हम इसको रिपील कर रहे हैं। अगर सूबे के लिये जरूरत है तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट कोई इस किस्म का सोशल रिफार्म के लिये कानून ले आवे, बेहतर यह होगा कि कोई माननीय सदस्य जिनको दिलचस्पी हो, वह अगर कोई कानून पेश करना चाहें तो उसके ऊपर गौर किया जावेगा। अभी एक कानून इसी शादी वगैरह के मुताल्लिक और दहेज के मुताल्लिक आने वाला है। जो आखिरी नान-आफिशियल डे था उसमें वह पेश किया गया था। अगर उसी तरह से किसी और माननीय सदस्य में इतनी हिम्मत हो और इतना जोश हो कि उसके ऊपर वह वक्त सर्फ करके और मेहनत करके कोई कानून पेश करें जो कि हाउस को कबूल हो तो गवर्नमेंट ऐसे मामले में उनके रास्ते में हरगिज नहीं खड़ी होगी। आप्शनल रजिस्ट्रेशन या कोई ऐसा तरीका कि कहीं कोई काजी हों या कोई पंडित हों, वह अपना रजिस्टर रखें और उसके ऊपर जितने निकाह किये जायं या जितने विवाह किये जायं, लिखे जायं, तो इसमें न तो कोई एतराज रहा है और न हो सकता है। इस वक्त भी बाज बाज जगहों के ऊपर काजी और पंडित वगैरह अपना एक प्राइवेट रजिस्टर रखते हैं और उसमें जो इन्दराज होते हैं वह अदालतों में पेश होते हैं और अदालतें उनके ऊपर फैसला देती हैं। इसी तरह से अगर झगड़े होते हैं तो वह पंडित या काजी भी पेश होते हैं और उनके यहां कोई कागज होता है तो वह भी पेश किया जाता है, लेकिन उस तरह की कोई चीज कानून में नहीं है, क्योंकि उसके कानून में रखने के माने तो यह होंगे कि अगर इस तरह का कानून बन गया तो अगर कोई शादी रजिस्टर्ड न हुई तो फिर वह शादी, शादी ही न रह जायगी। ऐसी सूरत में उस पर गौर करना पड़ेगा कि कहां तक ऐसा कानून लाया जा सकता है और कहां तक ऐसा कानून लाना मुनासिब होगा। अगर इस किस्म का कानून कहीं और है जैसा कि माननीय सदस्य विष्ट जी ने अभी अपनी तकरीर में कहा तो उसकी भी इत्तिला हमको नहीं है।

[श्री सैयद अली जहीर]

अगर वह बतलावें तो उसका भी इलाज हो सकता है। रजिस्ट्रार के जहां तक तकर्रर करने का मामला है जाहिर है कि जब गवर्नमेंट वह कानून रामपुर में नहीं चाहती है तो वहां पर रजिस्ट्रार के मुकर्रर करने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। इन अल्फाज के साथ मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि यह बिल मंजूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १ तथा २

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१---(१) यह अधिनियम रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) अधिनियम, १९५४, कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ़ मुस्लिम मैरिजेज ऐक्ट, १९४१ और रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ़ हिन्दू मैरिजेज ऐक्ट, १९४५, का निरसन।

२---क़ानून इन्दराज निकाह अहले इस्लाम रियासत रामपुर, १९४१ [The Rampur state registration of muslim marriages act, 1941] और कानून इन्दराज विवाह अहले हनूद रियासत रामपुर, १९४५ (The Rampur state registration of Hindu marriages act, 1945) एतद्द्वारा निरस्त (repeal) किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ और २ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा शीर्षक

रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४

हिन्दू और मुस्लिम विवाहों से सम्बद्ध रामपुर स्टेट ऐक्टों को निरस्त करने का

विधेयक

हिन्दू और मुस्लिम विवाहों से सम्बद्ध रामपुर स्टेट ऐक्टों को निरस्त करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:---

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि रामपुर रजिस्ट्रेशन आफ मैरिजेज (निरसन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, एक जांच कमेटी हमारी सरकार ने बहुत अरसा हुआ बनाई थी, उसका जिक्र कई दफा हाउस में आ चुका है और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एक अरसा हुआ दे दी थी। बहरहाल उसके ऊपर गौर होता रहा। गौर होने के बाद यह कानून जो कि इस वक्त हाउस के सामने है, गवर्नमेंट ने पेश किया है ताकि उसके ऊपर अमलदरामद हो। इसके जरिये से एवीडेंस ऐक्ट, ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, प्राविंशल स्माल काजेज कोर्ट ऐक्ट, वगैरह वगैरह जो कि पहले शेड्यूल में दर्ज हैं उनको तरमीम किया गया है। गरज उन तरमीमों को यह है कि जो जहमत और बिला वजह की ताखीर अदालती कार्यवाहियों में होता है उनको जहां तक हो सके कम किया जाय। अक्सर जो तरमीमें पेश की गयी हैं वह वही हैं जो कि वांचू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखी थीं और जिसके ऊपर इतने दिनों तक गौर होता रहा और जिनको ज्यादातर हाई कोर्ट बार असोसिएशंस ने मंजूर किया है। मेरा ख्याल है कि इन तरमीमों के हो जाने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दीवानी के मुकदमों में जो तूलानी कार्यवाहियां होती थीं उनमें किसी कदर कमी होगी। मैं यह नहीं कह सकता कि यह आखिरी कानून इस किस्म का है क्योंकि हमको अभी और तरमीमें इस किस्म की करनी पड़ेंगी जिससे और सहूलियत और आसानियां इस किस्म के मुकदमों में पैदा हो सकें। लेकिन इसमें शक नहीं कि इस तरफ यह पहला कदम है, जो हम उठा रहे हैं। दीवानी के कानून की तरमीमों के मुताल्लिक कई बार इस विधान सभा में उसका जिक्र आ चुका है और उसके सिलसिले में मैंने यही अर्ज किया था कि इस किस्म का एक सिस्टम अदालती कार्यवाहियों का जो इस वक्त तक अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि हमारे मुल्क के बाशिन्दों के जैसे ख्यालात हैं, रुझानात हैं, उससे किसी तरह से मेल नहीं खाते। लेकिन फिर भी चूंकि एक मुद्दत तक हमारे यहां कानून रायज रहे हैं, लिहाजा जनता उनकी आदी हो गयी है। उसका नतीजा यह है कि आज हम अगर अपने सिस्टम में कोई इतना इनकलाबी तगय्युर कर दें तो अन्देशा है कि लोगों को हमारी अदालतों पर उतना एतबार और एतमाद न रहे जितना इस वक्त है। इसलिये हमको जो भी कदम इस तरफ उठाना है वह निहायत समझ बूझ कर उठाना है। इसीलिये यह कमेटी मुकर्रर की गयी थी और उसने जो छोटी-छोटी तरमीमें मुख्तलिफ कानूनों में मंजूर की हैं उन्हें मैं हाउस के सामने पेश कर रहा हूं।

मुझे उम्मीद है कि इस कानून को मंजूर किया जायगा।

श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि यह बहुत दिनों की मांग थी कि हमारे जो मुख्य कानून हैं, जहां तक दीवानी और फौजदारी कानूनों का ताल्लुक है बहुत पहले के बने हुए हैं और उनमें समयानुकूल कुछ तरमीम होनी बहुत आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने जो संशोधक विधेयक इस सम्बन्ध में पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें बहुत कम या बहुत थोड़े सेक्शंस में संशोधन हुआ है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा वह एक व्यापक विधेयक लायेंगे। हमें आशा है कि फौजदारी कानूनों के सम्बन्ध में भी जो वांचू कमेटी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक

†२० अप्रैल, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट]

संशोधन विधेयक लायेंगे क्योंकि जहां तक फौजदारी कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है शायद माननीय मंत्री जी ने ध्यान न दिया हो या विचाराधीन हो। फौजदारी में भी बहुत कुछ संशोधन की आवश्यकता है और खासकर क्रिमिनल मैटर्स में एक्यूज्ड को बेल के सम्बन्ध में या ट्रायल के सम्बन्ध में डिलेज होती हैं उनको दूर करने के लिये हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी सिविल लाज की तरह क्रिमिनल लाज को सुधारने के लिये भी बिल पेश करेंगे।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बतलाया वांचू कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो सिफारिशें थीं उनके सिलसिले में यह विधेयक इस सदन के सामने रक्खा गया है और मैं इस बात के लिये उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने उस रिपोर्ट पर जो भी कार्यवाही हो सकती थी, जो भी छोटी-छोटी सिफारिशें थीं उनको बहुत हद तक पूरा करने के लिये यह विधेयक सदन में रखने की कोशिश की है। सेलेक्ट कमेटी में विचार करते समय ऐसा भी हुआ कि दो एक धाराओं में कुछ ऐसी लैंगुएज आ गई थीं..

श्री अध्यक्ष---सेलेक्ट कमेटी में क्या हुआ उसका जिक्र आप न करें।

श्री अब्दुल मुईज खां---उसकी कार्यवाही का तजकिरा नहीं कर रहा हूं। इस विधेयक को लाने में माननीय मंत्री जी की यह कोशिश थी कि वांचू कमेटी की जो सिफारिशें थीं उनको पूरा किया जाय लेकिन इसी के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि वांचू कमेटी जिस स्टेज पर मुकर्रर की गई थी उससे हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है। उस जमाने से हमारे देश की जरूरतें बहुत वसीय हो गई हैं। जो छोटी-छोटी सिफारिशें वांचू कमेटी ने की थीं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण संशोधन करने की आज जरूरत है। बहुत से कानून इस वक्त हमारे देश में लागू हैं। उनमें कुछ संशोधन इस बिल के जरिये से किये जा रहे हैं लेकिन वे बहुत दिनों के हो चुके हैं और मौजूदा जरूरतों को वे पूरा नहीं करते। उनमें और उसूली तब्दीलियों की जरूरत है। मैं इस तरफ भी माननीय मंत्री जी को मुतवज्जह करूंगा और यह सिफारिश करूंगा कि वह जल्दी से जल्दी कोई इस किस्म का यूनीफार्म (uniform) विधेयक लाने की कोशिश करें ताकि इस तरह के जितने भी सिविल लाज हैं उनका दूसरों से टकराव न हो और मौजूदा जरूरतों को वे पूरा कर सकें। मैं माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिये एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सिविल लाज सुधार तथा संशोधन विधेयक हमारे सामने है। वांचू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई सुझाव दिये थे। वांचू कमेटी जिस लिये बनाई गई थी उसका उद्देश्य यह था कि हमारे इस सूबे में नहीं बल्कि बाहर अदालतों में मुकदमें देर से फैसल होते हैं और बिना फैसल हुये मुकदमों की संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही है इसको दूर करने के उपाय निकाले जायं। उसके साथ-साथ यह भी महसूस किया गया था कि कानून में, खास कर प्रोसीजरल लाज में संशोधन करने की बड़ी जरूरत है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए वांचू कमेटी मुकर्रर की गई और वांचू कमेटी की रिपोर्ट को साल भर से ज्यादा हो गया कि वह हमारे सामने है और वांचू कमेटी ने जो-जो सिफारिशें कीं उन्हीं को सामने रखते हुए कुछ-कुछ अंश में यह सुधार विधेयक लाया गया है। मेरा अपना ख्याल यह है कि मुनासिब यह था कि इस विधेयक को थोड़े दिन के बाद लाया जाता क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि इस वक्त पार्लियामेंट के सामने हैं और जहां तक मेरा ख्याल है पार्लियामेंट के सामने जो सुधार के सुझाव

हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट निकली थी, मुझे मालूम नहीं कि वह रिपोर्ट प्रकाशित (पब्लिश) हो गई है या नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के सामने वह आई थी और बहुत सारी बातें जैसे सिविल प्रोसीजर के सुधार के सम्बन्ध में, एविडेंस ऐक्ट के सुधार के सम्बन्ध में जितने मसले हैं वे सब भी उनके सामने हैं। जहां तक उन एक्ट्स का सम्बन्ध है जो कि केन्द्रीय हैं मुनासिब यह होता कि एक साथ उनमें संशोधन होता, अगर वह टुकड़े-टुकड़े करके न लिये जायं यानी आज इसके अन्दर हमारे प्रान्त ने सुधार किया और ६ महीने के अन्दर केन्द्र ने इस अधिनियम के सम्बन्ध में कोई सुन्दर सुधार किया तो फिर एक गड़बड़ होने की संभावना है, लेकिन बहरकैफ हमारे सामने यह विधेयक है और इसमें कोशिश इस बात की की गयी है कि मुकदमों में देर से फैसला होने के कारण जो बातें पैदा हो जाती हैं, जो प्रोसीजर या कानून के द्वारा रुकावटें पैदा हो जाती हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जाय। यह सदन इस बात को देखे कि इस विधेयक में एविडेंस ऐक्ट, ट्रान्सफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट प्राविन्शियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट और सिविल प्रोसीजर कोड तथा कुछ और ऐक्ट के अन्दर ऐसे संशोधन किये गये हैं जिनके बारे में यह ख्याल था कि इनमें संशोधन करने से मुकदमों के फैसले करने में जल्दी होगी। मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुकदमों के फैसलों में देर होने की वजह से हो सकता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जो पुराने हो गये हैं और उनमें संशोधन करना जरूरी है। सब से पहले जरूरत आज यह है कि हमारी अदालतों में जजों की कमी है, मुन्सिफों की कमी है, सिविल जजों की कमी है, डिस्ट्रिक्ट जजों की कमी है और हाई कोर्ट में जजों की कमी है, उस कमी को दूर किया जाय। मेरे सामने ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस सन् १९५२ की रिपोर्ट है। श्रीमन् आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां तक हाई कोर्ट का सम्बन्ध है, हाई कोर्ट में बिला फैसल किये हुये मुकदमों की तादाद बराबर बढ़ती जाती है और पिछले साल सन् १९५१ से ५२ के आखिर तक जो शक्ल थी उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितनी तादाद बढ़ गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट के पृष्ठ ३४ के ऊपर विवरण दिया गया है जिसमें फुल बेंच के दो जजों के सामने, सिंगिल जज के सामने दीवानी और फौजदारी के मुकदमों की तादाद पिछले साल....

श्री अध्यक्ष--मैं श्री शिवनाथ काटजू का ध्यान नियम १०६ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि विधेयक सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद जो विवाद होगा उसमें यदि माननीय सदस्य का विरोध हो या कोई संशोधन हो तो वह कोई स्टेटमेंट दे सकता है। इसके ऊपर अन्य विवाद नहीं हो सकता।

श्री शिवनाथ काटजू--श्रीमान् मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक में जहां उन बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया है कि जिसमें मुकदमों में देर से फैसला होने की रुकावट दूर की जाय, इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बड़ी बात पर भी गौर किया जाय जिसकी वजह से हमारी अदालतों में काम अटका हुआ है और रुका हुआ है। मेरा निवेदन यह है कि केवल इस संशोधन के द्वारा वह कमी दूर नहीं हो सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक यह विधेयक है इसके बारे में मैं अधिक निवेदन नहीं करूंगा केवल इतना कहूंगा कि इससे कहीं ओवरलैपिंग न हो जाय। यह बात केन्द्र के सामने है। अगर आप टुकड़े-टुकड़े करके इसको लेते हैं तो उसमें कुछ आगे गड़बड़ होने की सम्भावना है। जहां तक इस विधयक का सम्बन्ध है यह बहुत मुनासिब विधेयक है और मेरे ख्याल में सेलेक्ट कमेटी के अन्दर भी इसके ऊपर काफी विवाद हुआ था और सेलेक्ट कमेटी ने सिर्फ थोड़ी सी बातों पर संशोधन किया है। इन सब बातों को देखते हुए

[श्री शिवनाथ काटजू]

मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन मैं फिर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केवल इसके द्वारा हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस कानून के लिये मुझे बधाई दी और उसको वैलकम किया। जैसा कि मैंने पहले अर्ज कर दिया था कि यह आखिरी नजर इसकी तरफ नहीं है। हमको तो अभी बहुत कुछ करना है कब्ल इसके कि हमारा सिस्टम आफ जस्टिस ही बदल जाय और हम इस बड़े मरहले का कुछ हल निकाल सकें। यह जो कुछ भी किया जा रहा है वह वांचू कमेटी की रिकमेंडेशन्स के मुताबिक किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य ने क्रिमिनल ला का भी सवाल उठाया और कहा कि फौजदारी के कानून में भी कुछ तरमीम करने की जरूरत है। उसके बारे में मैं यह इत्तिला दे देना चाहता हूं, यह कोई राज की बात भी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार क्रिमिनल ला के बारे में सोच रही है कि उसमें तरमीम की जाय जो तमाम सूबों पर लागू होगी। इसके बारे में एक बिल बनाया जाकर पार्लियामेंट में पेश हो गया है जिसके बारे में हमने अपनी राय भी भेज दी है जिसके जरिये से फौजदारी के कानून में तब्दीली हो। केन्द्रीय सरकार ने यह भी लिखा था कि वह दीवानी के कानून में भी तरमीम कर रही है लेकिन हमारी सरकार ने उनसे जिक्र किया कि हम वांचू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तरमीम करना चाहते हैं। जिन पर उन्होंने कोई एतराज नहीं किया। आपने देखा होगा कि सेलेक्ट कमेटी की एक मीटिंग जनवरी में हुई थी और आखिरी कमेटी ३० मार्च को हुई। इजाजत मिल जाने के बावजूद भी आप देखेंगे कि हमने उन्हीं संशोधनों को किया है, जिनका अख्तियार सूबे की हुकूमत को है।

माननीय सदस्य काटजू साहब ने कहा कि इससे मसला हल नहीं होगा। आफिसरों की तादाद कितनी बढ़े और कानून में कितनी तब्दीलियां हों यह दोनों सवाल अलग अलग हैं। जहां तक आफिसरों की तादाद बढ़ाने का ताल्लुक है, हम सोच रहे हैं और गालिबन वह होने वाली भी है। इसके अलावा एक वजह यह भी है कि हमारे यहां जमींदारी के खत्म हो जाने से हमारे यहां मुकदमेबाजी का तर्ज व तरीका भी बदल रहा है। छोटे मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं और बड़ी मालियत के मुकदमे कम आ रहे हैं। हम अभी यह देख रहे हैं कि आखिरी शक्ल क्या होगी तब हम यह देखेंगे कि कहां बढ़ाने की जरूरत है और कहां कम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि चन्द सालों में इन सब दिक्कतों को रफ्ता-रफ्ता हल कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ और ३

अनुसूची में निर्दिष्ट विधायनों का संशोधन।

२--अनुसूची के स्तम्भ २ में निर्दिष्ट विधायन जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, अनुसूची के स्तम्भ ३ और ४ में वर्णित आयति पर्यन्त (to the extent) संशोधित होंगे और एतद्द्वारा संशोधित किये जाते हैं।

३—(१) इस अधिनियम द्वारा किया हुआ कोई संशोधन, पहले से की गई अथवा हुयी किसी बात (of anything already done or suffered) की, अथवा पहले से उपार्जित, उत्पन्न अथवा भारित किसी अधिकार, आगम, अधिभार अथवा दायित्व (any right, title, obligation or liabililty already acquired, accrued, or incurred) की, अथवा किसी ऋण की डिग्री से मुक्त या उसके उत्सर्जन या किसी दायित्व से मुक्ति या उसके उत्सर्जन अथवा अधिक्षेत्र की, जो प्रयोग में लाया गया हो, (any release or discharge of or from any debt, decree, liability, or any jurisdiction already exercised) वैधता, अवैधता, फल अथवा परिणाम पर प्रभाव न डालेगा। (shall not affect the validity, invalidity, effect or consequence of), और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी न्यायालय में निविष्ट या आरब्ध (instituted or commenced), व्यवहार यहां पर किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, उक्त न्यायालय द्वारा सुने और निर्णीत किये जा सकेंगे ।

(२) यदि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ में अथवा अनुसूची के स्तम्भ २ में वर्णित किसी अन्य विधायन में किसी संशोधन के हो जाने के कारण किसी वाद अथवा अपील के लिये नियत अवधि परिष्कृत हो गयी हो अथवा ऐसे वाद अथवा अपील पर कोई भिन्न अवधि अब से प्रवृत्त होने वाली हो, तो ऐसे संशोधन के अथवा इस बात के होते हुये भी कि अब वाद अथवा अपील किसी अन्य न्यायालय में हो सकेगी, उपर्युक्त वाद अथवा अपील में, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कालावधि (limitation) आरम्भ हो जाने पर, वही अवधि प्रवृत्त होगी, जो इस संशोधन के न होने पर होती।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ व ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची	संशोधन
१	२	३	४
१	इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७२ (ऐक्ट सं० १, १८७२)	९०	(१) वर्तमान धारा को धारा ९० (१) के रूप में पुनः परिगणित किया जाय, और (क) शब्द "Thirty years" के स्थान पर "Twenty years" रख दिये जांय, और (ख) उसके बाद निम्नलिखित को नयी उपधारा (२) के रूप में रख दिया जाय:— "(2) Where any such document as is referred to in sub-section (1) was registered in accordance with the law relatingt or egistration of documents and a duly cer-

क्रम संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची	संशोधन
१	२	३	४
			tified copy thereof (duly certified by an officer duly authorised in that behalf) is produced, the Court may presume that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particuler person, is in that person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to have been executed or attested." (२) धारा ९० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा ९०-ए बढ़ा दी जाय:— "90-A (1) Where any registered document or a duly certified copy thereof or any certified copy of a document which is part of the record of a court of justice, produced from any custody which the court in the particular case considers proper, the court may presume that the original was executed by the person by whom it purports to have been executed."
२	ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ (१८८२ का ऐक्ट सं० ४)	१०६	(१) शब्द "expiring with the end of a year of the tenancy" और शब्द "expiring with the end of a month of the tenancy," निकाल दिये जायं। (२) शब्द "fifteen day's notice" के स्थान पर शब्द "thirty days' notice" रख दिये जांय।
३	प्राविंशियल स्माल काज कोर्ट ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० ९)	सेकंड शिड्यूल	(१) आर्टिकिल्स (८), (२६), (३४) और आर्टिकिल (३५) का उपखंड (२) और आर्टिकिल (४३-ए) निकाल दिये जायं। (२) वर्तमान आर्टिकिल (३८) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "(38) a suit relating to maintenance but not being a suit for recovery of arrears of maintenance based upon a decree or a written agreement"

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची	संशोधन
१	२	३	४
४	बंगाल, आगरा ऐंड आसाम सिविल कोर्टस ऐक्ट, १८८७ (१८८७ का ऐक्ट सं० १२)	२१	उपधारा (१) खंड (ए) में शब्द "five thousand rupees" के स्थान पर शब्द "ten thousand rupees" रख दिये जायं।
५	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ६)	३५-ए	(१) वर्तमान उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(1) If any suit or other proceeding, including proceedings in execution, not being an appeal or revision, the court holds that the claim defence or any (finds) part of it is false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward and if such claim or defence or part of it is disallowed, abandoned or withdrawn in hole or in part the court may, after recording its wreasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for payment to the successful party of costs by way of compensation irrespective of the decision on other issues in the case".

	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट नं० ५)	४२	(२) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

'42. The court executing a decree sent to it shall (except as provided for in section 39) have the same power in executing such decree as the court which passed it. All persons disobeying or obstructing the execution of decree shall be punishable by such court in the same manner as if it had passed the decree, and its order in executing such decree shall be subject to the same rules in respect of appeal as if the decree had been passed by itself"

"		४७	(३) धारा ४७ के वर्तमान स्पष्टीकरण को "Explanation—I" के रूप में पुनः परिगणित किया जाय और उसके बाद निम्नलिखित "Explanation—II" के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"*Explanation—II*—For the purposes of this section a purchaser at an auction sale in execution of the decree shall be deemed to be a party to the suit in respect of the property purchased by him",

क्रम संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४
	कोड आफ सिविल प्रोसीजर, ऐक्ट १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ५)	५१	(४) खंड (बी) के बाद निम्नलिखित नया खंड (bb) के रूप में जोड़ दिया जायः— "(*bb*) by transfer other than sale, or by attachment or without attachment of any property."
		९२	(५) उपधारा (१) में खंड (बी) के बाद निम्नलिखित नया खंड (bb) के रूप मे जोड़ दिया जायः— (*bb*) for delivery of possession of any trust property against a person who has ceased to be trustee or has been removed."
	,,	१०२	(६) धारा के अन्त में आने वाले शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "two thousand rupees." रख दिये जायं ।
	,,	१४४	(७) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः— "(1) Where and in so far as a decree or an order is varied or reversed in appeal, revision or otherwise, the court of first instance shall on the application of any party entitled to any benefit by way of restitution or otherwise, cause such restitution to be made, as will, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but for such decree or order or such part thereof as has been varied or reversed; and for this purpose, the Court may make any orders, including order for the refund of costs and for the payment of interest, damages, compensation and mesne profits, which are properly consequential on such variation or reversal".
	,,	१४५	(८) वर्तमान धारा १४५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः— "145. Where any person has become liable as surety or given any property as security— (*a*) for the performance of any decree or any part thereof, or (*b*) for the restitution of any property taken in execution of a decree, or (*c*) for the payment of any money, or fpor the fulfilment of any condition imposed on any person, under an order of the Court in any suit or in any proceeing consequent thereon—

क्रम-संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४

the decree or order may be executed in the manner herein provided for the execution of decrees,.

(i) if he has rendered himself personally liable, against him to that extent [he has so rendered liable], and

(ii) if he has given any property as security, by sale of such property to the extent of the security;

and such person shall, for the purposes of appeal, be deemed to be a party within the meaning of section 47:

Provided that such notice as the court in each case thinks sufficient has been given to the surety.

Explanation—For the purposes of this section a person [who has been] entrusted by a Court with custody of any property attached in execution of any decree or order shall be deemed to have become liable as surety for the restitution of such property within the meaning of clause (*b*)"

६	दि इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ (१९०८ का ऐक्ट सं० ९)	दि फर्स्ट शिड्यूल	(१) आर्टिकल ११ में शीर्षक "Period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "one year" के स्थान पर शब्द "six months" रख दिये जायं, (२) आर्टिकल १८२ में शीर्षक "period of Limitation" के नीचे वाले इन्दराज "three years" के स्थान पर शब्द "six years" रख दिये जायं।
७	दि इंडियन ल्युनेन्सी ऐक्ट, १९१२ (१९१२ का ऐक्ट सं० ४)	३	इस धारा की उपधारा (३) के अन्त में आने वाले कोलन के स्थान पर कामा रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित रख दिया जाय:— "and includes any other civil court not being the court of a Munsif, declared in that behalf and for such areas as may be specified by the State Government as by notification in the Gazette, or"
८	अवध लाज ऐक्ट, १८७६ (१८७६ का ऐक्ट संख्या १८)	१९	इस धारा के अन्तिम पद के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:— "The note as above required may be written and signed by the Judge with his own hand or typed to his dictation in open court and signed by him with his own hand, and such note shall form part of the record."
९	दि प्राविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)	२०	(१) वर्तमान धारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— "20. The Court when making an order admitting the petition may, and where the debtor is a petitioner, shall appoint

क्रम संख्या	अधिनियम का संक्षिप्त नाम	अधिनियम की धारा या अनुसूची (Schedule)	संशोधन
१	२	३	४

an interim receiver of the property of the debtor and may direct such receiver to take immediate possession thereof, and the interim receiver shall thereupon have such of the powers conferable on a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908, as the court may direct.

Where in any case an interim receiver is not appointed at the time of admiting the petition, the court may make such appointment at any subsequent time before adjudication, and the provisions of this section shall apply accordingly.

Explanation—The order appointing an interim receiver may in cases where the debtor is not the petitioner be in respect of either the whole or a part only of the debtor's poperty.

दि प्रॉविंशियल इन्सालवेंसी ऐक्ट, १९२० (१९२० का ऐक्ट सं० ५)

५९-ए (२) उपधारा (३) के बाद निम्नलिखित नयी उपधारायें (४) से (७) तक जोड़ दी जायं:—

"(4) If on his examination any such person admits that he is indebted to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to pay to the receiver at such time and in such manner as to the court or to such officer seems expedient, the amount in which he is indebted, or any part thereof, either in full discharge of the whole amount or not, as the court or the officer, as the case may be, thinks fit, with or without costs of the examination.

(5) If on his examination any such person admits that he has in his possession any property belonging to the insolvent, the court or such officer may, on the application of the receiver, order him to deliver to the receiver that property or any part thereof, at such time, in such manner and on such terms as to the court or to the officer, as the case may be, may seem just.

(6) Orders made under sub-sections (4) and (5) shall be executed in the same manner as decrees for the payment of money, or for the delivery of property, under the Code of Civil Procedure, 1908, respectively.

(7) Any person making any payment or delivery in pursuance of an order made under sub-section (4) or sub-section (5) shall by such payment or delivery be discharged from all liability whatsoever in respect of such debt or property".

(३) शब्द "five hundred rupees" के स्थान पर शब्द "one thousand rupees" रख दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३

सिविल लाज (दीवानी कानूनों) में सुधारों की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि सिविल लाज (दीवानी कानूनों) में सुधार किया जाय और इसी उद्देश्य से कुछ अधिनियमों का, जहां तक उत्तर प्रदेश में उनकी प्रवृत्ति का संबंध है, संशोधन किया जाय,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५३ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाबवाला, मैं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६९ पर)

अगले सप्ताह का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय उपनेता सदन से पूछना चाहता हूं कि इस हफ्ते का कार्यक्रम क्या रहेगा, यह माननीय सदस्यों को बतला दे।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—इसके बाद तो पंचायत राज बिल चलेगा। उसके बाद यह इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की या जो रूल्स हैं उनके मुताल्लिक एक दिन डिस्कशन होगा और उसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी बिल चलेंगे और उनका रेफरेंस टु सेलेक्ट कमेटी होगा।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एबालिशन अरबन एरियाज का जो कानून है वह इस वक्त आयेगा कि नहीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त तो वह नहीं आ सकता है ।

(इसके बाद सदन १ बजकर १० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२६ अप्रैल, १९५४

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

प्रश्न संख्या ७ से संबंधित सूची

नाम तहसील	मुफ्त सहायतार्थ बांटी गई धनराशि			बाढ़ के समय रक्षात्मक कार्यवाही के हेतु जो व्यय हुआ			योग		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
सदर	२,९६८	१०	३	२,६८९	१२	९	५,६५८	७	०
मुहम्मदाबाद	९,९८१	०	८	२,१८७	०	०	१२,१६८	०	८
सगड़ी	४,७६४	३	०	२१४	१२	०	४,९७८	१५	०
घोसी	७,८३६	९	९	८५३	७	६	८,६९०	१	३
फूलपुर	३,४२१	७	३	२२७	१४	९	३,६४९	६	०
लालगंज	४९२	०	०	०	०	०	४९२	०	०
कुल योग ...	२९,४६३	१४	११	६,१७२	१५	०	३५,६३६	१३	११

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

प्रश्न संख्या ८ से सम्बन्धित सूची

नाम तहसील	मुफ्त सहायता	कृषकों के लिये तकावी	गैर कृषकों को ऋण
	रु०	रु०	रु०
सदर	३,७००	४,०००	८,०००
मुहम्मदाबाद	३,५००	४,०००	७,०००
घोसी	५,३००	४,०००	२,०००
सगड़ी	५,०००	३,०००	१,५००
फूलपुर	१,०००	१,०००	१,०००
लालगंज	१,५००	१,०००	५००
योग फल	२०,०००	१७,०००	२०,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

संलग्न सूची प्रश्न संख्या ९

	रु०	आ०	पा०
तहसील घोसी	५१,५१८	३	०
,, सगरी	५१,३०४	१	६
,, लाल गंज	१४,२२१	६	०
,, सदर	६,६५०	६	६
,, मोहम्मदाबाद	९५,७५१	१	९
,, फूलपुर	१४९	५	६
	२,१९,५९४	८	३

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

प्रश्न ३१ से संबंधित सूची संख्या १

प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र			बाढ़ के कारण मृत मनुष्यों की संख्या	पूर्णतः या अंशतः गिरे मकानों की संख्या	नष्ट सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रु०	गृह विहीन मनुष्यों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	नष्ट फसलों का अनुमानित मूल्य		
	गांवों की संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	जन संख्या						धान रु०	मक्का रु०	अन्य रु०
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
२५	१४,४५८	२२,५१,०१२	३५,९२,४३४	२३	८०,४४३	१,१०,३०,९४३	१,०८,७९३	३४१	४,४४,५८,५९९	१,६९,५३,४५६	३,९७,५९,०७६

(७० लाख रुपया गोंडा में सभी फसलों में)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

प्रश्न ३२ से सम्बन्धित सूची संख्या २

१—टेस्ट वर्क	६,४०,००० रु०
२—अहेतुक सहायता	४,४१,२०० रु०
३—अहेतुक सहायता (मकान बनाने के लिये)	१,२५,००० रु०
४—तकावी (बीज तथा बैलों के लिये)	६६ लाख रुपया
५—मालगुजारी में छूट अथवा स्थगन	जिलाधीशों की प्रारम्भिक रिपोर्टों के अनुसार लगभग ४४ लाख रुपये की छूट या स्थगन देने का अनुमान है।

नोट:—सभी प्रभावित क्षेत्रों में मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा, ए० पी० दुकानों द्वारा सस्ते गल्ले का प्रबन्ध, सरकारी पावनों की वसूली का स्थगन, चारे का प्रबन्ध, बाढ़ के समय रक्षा का प्रबन्ध, आदि-आदि कार्यवाहियां की गईं।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रश्न ३४ के उत्तर में उल्लिखित सूची

सूची हाट जो जिला बोर्ड बस्ती को १ जुलाई, १९५२ को दी गई थी

जिला बस्ती

क्रम-संख्या	नाम हाट	यदि बाद में भूतपूर्व जमींदार को वापस की गई	यदि जिला बोर्ड में निहित हुई	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
	तहसील बस्ती—			
१	मरवटिया	हां (कुछ हिस्सा)	..	..
२	भटोलिवा	हां	..	..
३	बहादुरपुर	..	..	..
४	नगरखाश	..	..	..
५	घोसियारी	हां (कुछ हिस्सा)	..	..
६	रुधौली	हां	..	..
७	लालगंज	..	..	..
८	बुदवल	..	..	..
९	ऐसिया	..	..	..
१०	गायघाट	..	..	..
	तहसील—हर्रैया—			
११	हर्रैया	..	..	..
१२	नागपुर	..	..	..
१३	गौर	..	..	..
१४	बभनान	..	..	..
१५	महराजगंज	..	..	..
१६	चिलमा	..	..	..
	तहसील खलीलाबाद—			
१७	मेहदावल	..	..	..
१८	सांथा	हां	..	..
१९	खलीलाबाद जेनरल	..	..	..
२०	खलीलाबाद रबही	हां	..	..
२१	विधियानी	..	..	..
२२	हरिहरपुर	हां (कुछ हिस्सा)	..	..
२३	बन्हा बाजार	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	नाम हाट	यदि बाद में भूतपूर्व जमींदार को वापस की गयी	यदि जिला बोर्ड में निहित हुई	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
	तहसील डुमरियागंज—			
२४	नरखोरिया	हां	..	..
२५	हल्लौर	हां	..	..
२६	बढ़नी (चाफा)	..	..	..
२७	बडोसर	हां	..	..
२८	शाहपुर	हां	..	..
२९	खडसरी	..	..	..
३०	खोनौली नानकार	..	..	..
३१	कनकटी	..	..	..
३२	मुडिला (बढ़नी)	..	..	..
३३	कोटिया	हां	..	..
	तहसील बांसी—			
३४	राजेडीहा	हां	..	..
३५	धरमसिंहवा	..	..	..
३६	मसटिया	हां	..	..
३७	बांसी	..	..	..
३८	पचहर	हां	..	..
३९	पथरा	हां	..	..
४०	शोहरतगढ़	..	(इसका अन्तिम निहित	
४१	कनवा (उदयराजगंज)	हां	अभी नहीं हुआ है ।)	
४२	करही		..	..
४३	सेमरहना	..	..	..
४४	सोहांस	..	..	..
४५	गोबरहवा	हां	..	..
४६	तेलारी	..	..	..
४७	रानीगंज	..	..	..
४८	परती बाजार	..	..	..
४९	रेहरा बाजार	..	..	..
५०	वर्डपुर नं० २	..	..	..
५१	वर्डपुर नं० ९	..	..	..
५२	वर्डपुर नं० १४ (नौगट)	..	..	..
५३	वजहा	..	..	..
५४	शिवपतीनगर	..	..	..
५५	दूल्हाकुमाली (ककरहवा)	..	..	..

विधान सभा सचिवालय

सूची घाट जो जिला बोर्ड बस्ती को १ जुलाई, सन् १९५२ को दिये गये थे

जिला बस्ती

क्रम-संख्या	नाम घाट	यदि जिला बोर्ड में निहित हुई	यदि मल्लाहों को कागजात में लिखे हुई मालगुजारी पर खेने को दी गई हो	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
	तहसील बस्ती—			
१	दबिला	..	हां	..
२	लटघर	..	..	..
३	कैथोलिया	..	..	..
४	रानीपुर	..	..	..
५	बहादुरपुर	..	..	..
६	कचूर	..	..	..
७	लालगंज	..	हां	..
	तहसील बांसी—			
८	मझौली	..	..	..
९	हरैया	..	..	..
१०	हथिहवा	..	..	..
११	लकड़ा	..	..	..
१२	मोहना घाट	..	..	..
१३	परैय्या	..	..	..
१४	गायघाट	..	..	..
१५	पुरानी	..	..	..
१६	मुसहरवा	..	..	..
१७	लोटन	..	हां	..
१८	सद्दा	..	..	..
१९	ककरहवा	..	..	..
२०	गायघाट	हां	..	..
२१	बैरवामाफी	..	..	..
२२	पुरैना	..	..	..
२३	माड़रवड़ग कलां	..	..	..
२४	ककरही	हां	..	..
२५	गुलरहिया	..	..	..
२६	टन्डवल	..	..	..
२७	भवांसी	..	..	..
२८	हाता खाश	..	..	..
२९	थरवरिया	..	..	..
३०	जोगिया	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम घाट	यदि जिला बोर्ड में निहित हुई	यदि मल्लाहों को कागजात में लिखी हुई मालगुजारी पर खेने को दी गई हो	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
३१	बड़हरा	..	..	..
३२	करचोलिया	..	..	..
३३	सोहांस	..	..	..
३४	पिघानी	..	..	..
३५	मुरवहवा	..	..	..
३६	गहरिया	..	..	..
३७	माधोनगर	..	..	..
३८	नौरवनिया	..	..	..
३९	सेसुईया	..	..	..
४०	गंगाधरपुर	..	..	..
४१	कठेहाखाश	..	..	..
४२	महुवा	..	..	..
४३	छितरापार	..	..	..
४४	बड़हरघाट	..	..	..
४५	नेवारी	..	..	..
४६	सतवारी	..	..	..
४७	पुरवा	..	..	..
४८	महरथा	..	..	..
४९	कटजहवा	..	..	..
५०	कोटियादीगर	..	..	..
५१	गोडवा घाट	..	..	..
५२	डडंवा घाट	..	..	..
५३	हरैंया घाट	..	..	..
५५	बघनी घाट	..	..	..
५५	बांसी	हां	..	..
५६	पनघटिया	हां		..
५७	मटेरिया	..	..	..
	तहसील डुमरियागंज—			
५८	परसाखुर्दबुजुर्ग	..	..	..
५९	बियरिया	..	..	..
६०	कारेखूंट	हां	..	..
६१	भालू कोनी	..	..	..
६२	डुमरियागंज	हां	..	..
६३	नैताल	..	..	..
६४	सेसुई तेज	..	..	..
६५	सिसिया	..	..	..

विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम घाट	यदि जिला बोर्ड में निहित हुई	यदि मल्लाहों को कागजात में लिखी हुई मालगुजारी पर खेने को दी गई हो	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
६६	धौरहरा उर्फ धरमपुर	..	..	..
६७	तुरकौलिया उर्फ करमहिया	..	..	..
६८	नरकटहा	..	..	..
६९	तेन्दुआ असनहरा	..	..	..
७०	तिधरा	हां	..	..
७१	गौरा	..	..	..
७२	राजपुर	..	..	..
७३	पेडारी	..	..	..
७४	बगहवा	..	..	..
७५	मुंहचोरवा	हां	..	..
७६	असनहरा माफी	..	..	..
७७	वीरपुर इहतमाली	..	..	..
७८	गौर डीह	..	..	..
७९	बढ़ेला जनूबी	..	..	..
८०	खैरा खास	..	..	..
८१	सौरहवा ग्रांट	..	..	..
८२	मधुवनिया	..	..	..
८३	सीनौली नानकार	हां	..	..
८४	खोरितापुर	..	..	..
९५	कठेला सरकी	..	..	..
८६	रामनगर	..	..	..
८७	सेमरी	..	..	..
८८	बसावनपाकर उर्फ मदरहिया	..	..	..
८९	राजाकोहा	..	..	..
९०	तौलिहवा	..	..	..
९१	शिशवा बुजुर्ग	..	..	..
९२	औरहवा	..	..	..
९३	घनकैरा मुस्तहक	..	..	..
९४	झरुआ	..	..	..
९५	मटियार	..	..	..
	तहसील हरैया—			
९६	खंडरी	..	..	..
९७	इकगार	..	..	..
९८	पनमरवा	..	..	..
९९	मसही	..	..	..
१००	चौरा ..	..	..	..

विधान सभा सचिवालय

क्रम-संख्या	नाम घाट	यदि जिला बोर्ड में निहित हुई	यदि मल्लाहों को कागजात में लिखी हुई मालगुजारी पर खेने को दी गई हो	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१०१	नरैया	..	..	
१०२	महादेवा	..	..	
१०३	दुबिहवा	..	..	
१०४	बरिछत्तर	..	..	
१०५	मूंडघाट	हां	..	
१०६	महिला घाट	..	..	
	तहसील खलीलाबाद—			
१०७	भिखारीपुर	..	..	
१०८	अपराम शरफी	..	..	
१०९	कटार मिश्र	..	..	
११०	मुखलिसपुर	हां	हां	

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

जिला गन्ना आफिसर के पत्र संख्या २३४, दिनांक १५-४-५४ की आंशिक प्रतिलिपि

१—खाद का वितरण—

२३,५९४ मन रासायनिक खादें १९४७-४८ से अब तक कृषकों को नकद तथा उधार बांटी गयी हैं।

२—कम्पोस्ट—

२,३९,८२० मन ग्राम कम्पोस्ट १९४७-४८ से अब तक खाद के हेतु बनाया गया और बांटा गया।

३—उन्नतिशील कृषियंत्रों का वितरण—

१,१११ परिष्कृत कृषियंत्र १९४७-४८ से अब तक कृषकों को उधार तथा नकद दामों पर बांटे गये।

४—सिंचाई—

१० रहट कृषकों को दिये गये तथा उन पर सरकारी अनुदान भी दिया गया, २२१ पक्के कुएं बनाये गये तथा ४६ कुओं की मरम्मत की गई। १२ कुओं में बोरिंग भी की गई। ३३ तालाब खोदे तथा गहरे किये गये। जिसमें विभागीय कर्मचारियों ने पर्याप्त सहायता पहुंचाई। कुरीर गांव में तालाबों के गहरे करने में मुडेरवा जोन के विभागीय कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किये जिसकी कि जनता तथा सभा सचिव ने अत्यधिक प्रशंसा की।

५—नर्सरी तथा प्रदर्शन—

कृषकों की उन्नतिशील गन्ना बीज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये हर साल विभाग के द्वारा बीजों की नर्सरी लगाई जाती है और उनकी संख्या अब तक ६६६ है।

कृषकों को उन्नतिशील गन्ने की खेती की शिक्षा देने के लिये ४३१ अर्द्ध क्षेत्र प्रदर्शन और ७८५ कृषि यंत्र प्रदर्शन १९४७-४८ से अब तक दिखाये गये। उन पर अनुदान भी दिया गया।

६—उन्नतिशील गन्ने के बीज का वितरण—

१९४७-४८ से अब तक २,४०,०५५ मन गन्ने का बीज बांटा गया। १,५३० मन रबी तथा १,००२ मन खरीफ का बीज भी बांटा गया। गन्ने के बीज पर अनुदान भी दिया गया।

७—वृक्षारोपण—

लगभग १३,७५९ विभिन्न प्रकार के वृक्ष १९४७-४८ से अब तक लगाये गये।

८—गन्ने का क्षेत्रफल—

गन्ने के क्षेत्र का तुलनात्मक क्षेत्रफल १९४७-४८ से अब तक संलग्न सारिणी में दिया गया है। यह प्रयत्न हमेशा किया जाता है कि उच्चतम उपज की वृद्धि हो तथा वर्जित जाति के गन्ने का क्षेत्रफल घटाया जाय। इस कार्य में विभाग के कर्मचारियों ने अथक परिश्रम के द्वारा महान सफलता प्राप्त की है और अब इनका क्षेत्रफल बहुत ही कम है।

९—प्रचार कार्य—

कृषकों को उन्नतिशील कृषि का ज्ञान कराने के लिये ग्राम सभाओं तथा महती ग्राम सभाओं द्वारा चलचित्र दिखाये गये। उन्नतिशील कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये प्रत्येक वर्ष गन्ना प्रतियोगिता होती है और विजेताओं को जिनकी उच्चतम उपज होती है उन्हें वैभागिक पुरस्कार नकद तथा वस्तुओं के रूप में प्रदान किये जाते हैं। इसके आंकड़े संलग्न विवरण-पत्र में दिखाये गये हैं।

१०—ग्राम्य यातायात—

ग्रामों में यातायात के साधन समुचित न होने के कारण उनका निरन्तर सुधार करने के लिये विभाग सतत प्रयत्नशील रहता है। १८ पुलियां तथा १९ मील कच्ची सड़क का अब तक निर्माण किया जा चुका है। जिसका विवरण निम्न है—

(अ) १० मील लम्बी सड़क बुद्धा समरिया और रेलवे गुमटी से ओरवा तक बनाई गई।
३ मील लम्बी सड़क पैलो भुजैनी सड़क पर बनाई गई। सड़क अबतक अपूर्ण पड़ी है क्योंकि श्री राजाराम शर्मा एम० एल० ए० ने दो बीघा जमीन इसको महत्वपूर्ण गन्ना क्षेत्र से संबंधित करने के लिये प्रदान नहीं की, उस पर चार पुलिया भी बन चुकी हैं।
६ मील लम्बी सड़क मंडेरवा हल्लौर सड़क पर बनाई गई है।

(ब) ५ पुलियां बुद्धा समलिया सड़क तथा मंडरवा हल्लौर सड़क पर बनाई गई।
४ पुलियां पैलो भुजैनी सड़क पर बनाई गईं।
३ पुलियां मुन्डेरवा हल्लौल पर बनाई गईं।
१ पुलिया ओरवारा सड़क पर और
५ बुद्धा समलिया सड़क पर बनाई गईं।
१८ पुलिया

इन सबके बनाने में २८,४६० रु० मंडेरवा कौंसिल को व्यय करना पड़ा।

एक पंचायत घर तथा सीड स्टोर बुद्धा कलां में बनाया जा रहा है जिसका व्यय भार मुन्डेरवा यूनियन तथा नियोजन विभाग २:१ के अनुपात से उठायेंगे।

११—किसानों को ऋण—

यूनियन के धन से कृषकों को नकद तथा बीज खाद और कृषि-यंत्रों के रूप में ऋण दिया गया।

१२—गन्ना विक्रय—

कृषकों का गन्ना सोसाइटी के द्वारा मिलों को बेचा जाता है तथा उसका मूल्य सोसाइटी के द्वारा ही कृषकों को दिया जाता है।

१३—राजकीय देन तथा अनुदान—

१९४७-४८ से राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित राजकीय देन मुन्डेरवा जोन के लिये प्रदान की गई। जिनका विभिन्न विकास-कार्यों पर उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त मुन्डेरवा यूनियन और कौंसिल में विकास कार्यों के लिये अपने कोष से समुचित धन व्यय किया—

		रु०
(१)	ग्राम्य यातायात पर	६,०००
(२)	ब्याज रहित ऋण	१०,०००
(३)	कूपों पर अनुदान	१०,८००
(४)	प्रचार कार्य	२,५००
(५)	प्रदर्शन तथा प्रदर्शनी	२,५००
(६)	कृषकों को पुरस्कार	१,०००
(७)	ग्राम कम्पोस्ट	२,६००
(८)	फैक्टरी यार्ड कम्पोस्ट	१,४००
(९)	मुन्डेरवा कौंसिल के कार्यालय का किराया	१,५००

मुन्डेरवा जोन में गन्ना विकास द्वारा किये गये कार्य का विवरण

विवरण कार्य	१९४७–४८	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१-५२	१९५२–५३	१९५३–५४	योग
१—खाद का वितरण—								
(अ) खाद (मनों में) खली	०	१,४४०	९७७	१९१	४२	५७	९६	२,८०३
(ब) रसायन खाद	१,२१८	१,६१०	९७४	१,४०५	२४५	४३८	३,१३२	९,०२२
(स) मिश्रण	०	१,६५४	३,१७५	१,५०४	२,०१४	१,५४५	१,८७७	११,७६९
योग	१,२१८	४,७०४	५,१२६	३,१००	२,३०१	२,०४०	५,१०५	२३,५९४
२—कम्पोस्ट बनाया तथा प्रयोग किया (मनों में)—								
(अ) देहाती कम्पोस्ट	०	३०,२४०	५४,९००	७१,८८०	३२,१००	१८,७८०	३१,९२०	२,३९,८२०
(ब) फैक्ट्री यार्ड कम्पोस्ट	१०,११४	४,१४४	८,०८२	५,९५४	३,५४८	७,३००	७,०००	४६,१४२
योग	१०,११४	३४,३८४	६२,९८२	७७,८३४	३५,६४८	२६,०८०	३८,९२०	२,८५,९६२
३—कृषि यंत्र वितरण—								
(अ) हल	४३	९०	१३३	१४३	४५	२८	१०१	५८३
(ब) कुट्टी काटने की मशीन	०	०	८०	०	४६	२	०	१२८
(स) दूसरे कृषि यंत्र	०	०	१२०	१८३	५८	२९	२	४००
योग	४३	९०	३४१	३२६	१४९	५९	१०३	१,१११
४—सिंचाई—								
(अ) रहट	०	०	२	४	४	०	०	१०
(ब) पक्का कुआं	०	७३	४३	५०	३३	२२	०	२३१
(स) डीरीलक्ट कूप	०	१	०	२५	६	१४	०	४६
(द) बोरिंग कूप	०	२	२	२	४	२	०	१२
(य) तालाब खुदायी	०	०	०	६	१०	१७	०	३३
योग	०	७६	४७	८७	५७	५५	०	३२२

अनुवाद शाखा विधान सभा

५—नर्सरी या डिमान्सट्रेशन (प्रदर्शन)—								
(अ) गन्ना बीज नर्सरी	५२	१११	११३	११७	९०	८४	९९	६६६
(ब) अर्ध खेत प्रदर्शन	५०	८६	६५	६१	३८	५४	७७	४३१
(स) कृषि यंत्र प्रदर्शन	०	३१	२१७	१३०	१२४	१०२	१८१	७८५
६—प्रगतिशील बीजों का वितरण (मनों में)—								
(अ) गन्ना बीज	२७,७१३	२९,२२७	२३,८२२	३४,३४४	६३,४६९	१९,४६५	३२,०१६	२,४०,०५५
(ब) रबी बीज	२०९	३९५	२३६	२०५	१७६	११४	१९५	१,५३०
(स) खरीफ बीज	१४६	१६४	१८७	१८२	१२९	२५	१६९	१०,०२
७—वृक्षारोपण	०	२३५	२,६२५	३,६९१	१,९६३	७४०	४,५०५	१३,७५९
८— गन्ने का क्षेत्रफल (हजार एकड़ों में)—								
(अ) पौदा	७.४०	४.९५	५.९९	५.२४	६.६३	७.७४	६.८	
(ब) पेड़ी	०	१.००	.१९	.३५	.६८	.३८	.७	
योग	७.४०	५.९५	६.१८	५.५९	७.३१	८.१२	७.५	
९—प्रचार तथा प्रकाशन कार्य—								
(अ) ग्राम सभा	०	१६९	४२७	१,२००	१,३९२	१,४७६	१,०९१	५,७५५
(ब) महती ग्राम सभायें	०	५	८	८	०	९	५	३५
(स) प्रदर्शनी	०	६	१	१	१	२	०	११
(द) वार्षिक कार्य कौंसिल का	०	१	१	१	१	१	४	५
(ह) पारितोषिक वितरण	०	१,१५० रु०	१२,०० रु०	१,३५५ रु०	१,२०० रु०	१,०५० रु०	०	५,९५५ रु०
१०—सड़क, पुल तथा पुलियां—								
(अ) पुलियां	०	०	०	०	५	८	५	१८
(ब) कच्ची सड़क	०	०	०	०	१० मील	९ मील	०	१९ मील
(स) पंचायत घर	०	०	०	०	०	१	०	१
(द) कुल खर्च सड़क व पुलियों पर	०	०	०	०	९,९९० रु०	१४,७०६ रु०	३,७६४ रु०	२८,४६० रु०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कार्य विवरण	१९४७–४८	४८–४९	४९–५०	५०–५१	५१–५२	५२–५३	५३–५४	योग
११—कर्जा बीज, खाद तथा कृषि यंत्र के रूप में	०	०	९६,१४६रु०	७८,३५४रु०	१३६,६३७रु०	१२,८३२रु०	१,१०,६२९	
१२—सोसाइटी द्वारा गन्ना दिया गया (मनों में)	८२२६३७	६३६७७१	९२७१४५	६७७३८६	१५५१८९३	१७४८८४६	९११००९	
१३—राजकीय देन तथा अनुदान—								
(अ) ब्याज रहित ऋण	१०,०००							
(ब) ग्राम्य यातायात के लिये देन	५,०००	१,०००						
(स) गन्ना बीज पर अनुदान			२७२५/१०/९	२१७४/१/६	१,६००	३७/६/०	४१०/१५/०	
(द) कूप पर अनुदान			१०,०००	८००				
(य) प्रचार व्यय		५००	५००	५००	५००	५००		
(फ) प्रदर्शन और प्रदर्शनी		५००	५००	५००	५००	५००		
(र) कृषकों को पुरस्कार		२००	२००	२००	२००	२००		
(ल) ग्राम्य खाद		१,०००	६००	६००	४००			
(द) फैक्ट्री वार्ड खाद		५००	४००	४००	१००			
(ह) कौंसिल कार्यालय का किराया		३००	३००	३००	३००	३००		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर)

प्रश्न ६६ के उत्तर से संबंधित सूची

तहसील का नाम	ओला ग्रस्त ग्रामों की संख्या		नाम फसल और हानि की मात्रा					
			गेहूं	जौ	चना	अरहर	मटर	सरसों
			आना	आना	आना	आना	आना	आना
आगरा	सम्पूर्ण	तहसील	६	८	८	१२	६	४
एतमादपुर		,,	४	४	४	१२	४	—
फतेहाबाद		,,	—	—	२	८	—	२ से ४
सेरागढ़	१०१		—	—	—	१२	—	—
फिरोजाबाद	सम्पूर्ण	तहसील	—	—	—	१६	—	—
सिरौली		,,	—	—	—	१६	—	—
बाह		,,	४आ०से कम	४आ०से कम	४आ०से कम	४आ०से कम	४आ०से कम	४आ०से कम

अवर पदेश मुक्त

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर में उल्लिखित सूची

क्र० सं०	ग्राम सभा	गांव समाज	कृषि के अयोग्य भूमि का क्षेत्रफल			वृक्षों की संख्या	हाट, बाजार तथा मेला	घाट जिनपर नाव चलती है	ताल पोखरा आदि का क्षेत्रफल			जंगल का क्षेत्र-फल एकड़	रास्तों का क्षेत्रफल एकड़	आबादी का क्षेत्रफल एकड़
१	२	३	४			५	६	७	८			९	१०	११
			बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी				बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी			
१	सपही	सपही	१७	१८	१	२	०	०	४७	१४	१०	०	१	१०
२	भरमी	भरमी	२१	१२	११	६	०	०	५	१९	१५	०	५	३
३	भरमी	बघेली	४९	७	१७	१५	०	०	२९	२	२	०	७	१४
४	धरमौली	धरमौली	४८	१७	१५	४	०	०	५९	१	१४	०	३	९
५	धरमौली	हरिवंशपुर	३४	७	१०	०	०	०	२३	१६	२	०	१	१०
६	कुटुक	धर्मपुर	१८	१	११	५	०	०	३	५	८	०	१	८
७	कुटुक	बहादुरपुर	९	७	५	०	०	०	४	१८	१६	०	१	३
८	कुटुक	कुटुक	१७	८	११	५	०	०	२१	६	३	०	१	८
९	कुटुक	मुडिलाकटाई	५	१८	९	०	०	०	३	५	१	०	०	१
१०	कुटुक	देजौली	२२	७	१०	७	०	०	२९	१०	१२	०	२	३
११	कुटुक	लोहरौली	९	५	४	३	०	०	४	७	१७	०	१	३
१२	मुडिली	मुडिली	२०	८	१०	४	०	०	३१	७	४	०	१	९
१३	मुडिली	पचमा	५	७	१३	४	०	०	२०	३	१६	०	२	१
१४	मुडिली	कनवनिया	६	१६	१२	२	०	०	१७	१५	१	०	०	२
१५	मुडिली	बबेला	९	१९	१२	६	०	०	५	३	९	०	१	३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४९ पर)

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू०पी० ऐक्ट ६, १९४७। यू०पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का

विधेयक

यू०पी० ऐक्ट ६, १९४७। यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू०पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में संशोधन किया जाय,

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम यू०पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा;

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ (४) का संशोधन।

२—यू०पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५४" के स्थान पर संख्या "१९५६" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में सीमित अवधि के लिए बिजली के उत्पादन, सप्लाई, वितरण और व्यवसाय को नियंत्रित करने के अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। इस विधि की इसलिए आवश्यकता पड़ी थी कि बिजली की मांग उसकी सप्लाई से कहीं अधिक थी, अतएव यह आवश्यक था कि सरकार को बिजली के उत्पादन, सप्लाई और वितरण इत्यादि पर नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो।

२—यह अधिनियम, ३० सितम्बर, १९५४ को समाप्त हो जायगा। बड़े नगरों में सप्लाई की व्यवस्था अवश्य सुधरी है किन्तु उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में मांग सप्लाई से कहीं अधिक है। अतएव यह आवश्यक है कि इस अधिनियम की अवधि दो वर्ष और बढ़ा दी जाय।

इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम,
विद्युत मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२७ एल० ए०—१९५४—८५०।